न्यायमूर्ति श्री व्ही.के. अग्रवाल
एक सदस्यी
जांच आयोग
द्वारा

17 तथा 18 मई, 2013 की दरमियानी रात को
जिला बीजापुर के थाना जगरगुण्डा के ग्राम
एडसमेटा में मुठभेड़ की घटना के मामले में

न्यायिक जांच आयोग

का

प्रतिवेदन

17 तथा 18 मई, 2013 की दरमियानी रात को जिला बीजापुर के थाना जवरगुण्डा के ग्राम एड़समेटा में मुठभेड़ की घटना के मामले में

न्यायिक जांच आयोग

का

प्रतिवेदन

<u>विषयसूची</u>

स.क्र.	विषय	नस्ती क्र.	नस्ती के पृष्ठों की कुल संख्या
1.	परिशिष्ट सहित प्रतिवेदन	1	1 से 99 100 से 126
2.	साक्षियों के कथन	2	1 से 112
3.	प्रदर्शित दस्तावेज व शव परीक्षण प्रतिवेदन (पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट्स)	3	1 से 107
4.	लिखित निवेदन	4 (क) शिकायतकर्ता 4 (ख) सी.आर.पी.एफ. पुलिस राज्य शासन	1 से 65 1 से 119 1 से 28 29 से 63 64 से 85
5.	आदेश – पत्रिकाएँ	5	1 से 35
6.	गैर–प्रदर्शित दस्तावेज	6 (क) शिकायतकर्ता 6 (ख) सी.आर.पी.एफ. पुलिस राज्य शासन	1 से 13 1 से 15 16 से 319 320 से 354

17 तथा 18 मई, 2013 की दरमियानी रात को जिला बीजापुर के थाना जगरगुण्डा के ग्राम एडसमेटा में मुठभेड़ की घटना के मामले में

न्यायिक जाँच आयोग

का

प्रतिवेदन

[न्यायिक जाँच अधिनियम, 1952 (1952 के क्र.60) की धारा 3 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर (अधिसूचना दिनाँक 19/05/2013 देखें) द्वारा गठित]

इस जाँच में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व उनके अधिवक्ताओं द्वारा किया गया (उनकी वरीयता को विचार में लाए बिना, चूँकि यह उपलब्ध नहीं है)।

शिकायतकर्ताओं की ओर से :

डॉ. युग चौधरी, सुश्री शालिनी गेरा, श्रीमति सुधा भारद्वाज, सुश्री ईशा खण्डेलवाल, सुश्री निकिता अग्रवाल, सुश्री शिखा पाण्डेय तथा श्री अर्चित कृष्णा।

विपक्षी/सुरक्षा बलों की ओर से :

सी.आर.पी.एफ. : श्री राजकुमार गुप्ता

पुलिस प्रशासन : श्री संजय शुक्ला

राज्य शासन : श्री दिनेश पाणिग्राही

1. 17 तथा 18 मई, 2013 की दरमियानी रात को छत्तीसगढ़ राज्य के थाना गंगालुर, जिला बीजापुर के ग्राम एडसमेटा में सुरक्षा बलों द्वारा मुठभेड़ की एक घटना घटित हुई। अतः छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमाँक एफ 3–4/2013/1–7 दिनाँक 19/05/2013 द्वारा एक न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया गया।

2. उक्त अधिसूचना के सुसंगत अंश निम्नानुसार हैं :

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर दिनाँक 19.05.2013

क्रमाँक एफ 3–4/2013/1–7 : : चूँकि दिनाँक 17–18 मई 2013 को जिला बीजापुर के थाना गंगालुर के ग्राम एडसमेटा के नजदीक सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के मध्य मुठभेड़ की सूचना प्राप्त हुई है।

2/ चूँकि राज्य सरकार की यह राय है कि इस घटना से संबंधित सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित विषयों की न्यायिक जाँच किया जाना आवश्यक है :–

(1) क्या 17–18 मई, 2013 की रात्रि में जिला बीजापुर के थाना गगालुर के ग्राम एडसमेटा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई?

(2) उक्त घटना कब और किन परिस्थितियों में घटित हुई ?

(3)क्या उक्त घटना में सुरक्षा बलों या नक्सलियों अथवा उनके

अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति मृत या घायल हुआ ?

(4) यदि उक्त घटना में सुरक्षा बलों के सदस्य मृत या घायल हुए हैं तो सुरक्षा बलों के ऐसे सदस्यकिन परिस्थितियों में मृत या घायल हुए हैं?

(5) यदि सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति (महिला/पुरूष/बच्चा) मृत या घायल हुआ था, तो ऐसे व्यक्ति किन परिस्थितियों में घटना स्थल पर या उसके आसपास उपस्थित थे ?

(6) क्या गश्त प्रारम्भ करने के पूर्व सुरक्षा बलों द्वारा पूर्वोपाय किए गए थे तथा आवश्यक सावधानियाँ सुनिश्चित की गई?

(7) वे कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी ? क्या फायरिंग से बचा जा सकता था?

(8) भविष्य के लिए सुझाव।''

3/चूँकि राज्य शासन की अधिसूचना क्रमाँक एफ 3–7/2012/1–7 दिनाँक 11.07.2012 द्वारा जिला बीजापुर के ग्राम सारकेगुड़ा और जिला सुकमा के ग्राम सिलगेर एवं चिमलीपेंटा में घटित घटना दिनाँक 28–29 जून 2012 की जाँच हेतु जाँच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का सं. 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माननीय न्यायमूर्ति व्ही. के. अग्रवाल, भूतपूर्वअध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं अध्यक्ष, म.प्र. शुल्क नियामक न्यायाधिकरण, भोपाल की अध्यक्षता में एकल सदस्यी जाँच आयोग गठित किया गया है, जिसके द्वारा जाँच प्रगति पर है चूँकि वर्तमान घटना भी जिला बीजापुर की है एवं राज्य शासन की यह राय है कि उपयुक्त सार्वजनिक महत्व के विषयों की जाँच शीघ्र कराया जाना आवश्यक है।

4/ अतः जाँच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का सं. 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उपरोक्त लोक महत्व की विशेष जाँच पूर्वोक्त अधिसूचना द्वारा गठित जाँच आयोग को सौंपता है। आयोग अपनी जाँच इस

अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से यथासम्भव 03 माह के भीतर पूरी करेगा तथा शासन का रिपोर्ट सौंपेगा।

5/जाँच के दौरान तकनीकी विषय/बिदुओं पर आयोग किसी संस्था/विशेषज्ञ की सहायता ले सकेगा। आयोग की सचिवालयीन एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में आदेश पृथक से प्रसारित होंगे।

3. उक्त अधिसूचना के अनुसार यह जाँच हुई। समस्त संबधितों के सुने जाने का पूर्ण अवसर प्रदान करने के पश्चात् जाँच का यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में मुठभेड के पीडितों को शिकायतकर्ता कहा जाएगा जबकि पुलिस तथा सी. आर.पी.एफ. कर्मियों से समाहित सुरक्षा कर्मियों को विपक्ष– सुरक्षा बला कहा जाएगा। आगे इस पर भी गौर किया जाए कि शिकायतकर्ताओं की ओर से परीक्षण किए गए साक्षियों को 'अ.सा.' कहा जाएगा तथा विपक्ष की ओर से परीक्षण किए गए साक्षियों को 'ब.सा.' कहा जाएगा ; उन्हें उपयुक्त क्रमाँक प्रदान किया जाएगा।

इस पर गौर किया जाए कि जाँच के प्रारम्भ होने उपरान्त आम सूचना तथा प्रयासों के बावजूद कोई भी अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु सामने नहीं आया। यद्यपि 04 वर्ष से अधिकसमय बीत जाने के बाद शिकायतकर्ताओ ने अपने शपथ–पत्रों के माध्यम से अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं।

4. हालाँकि घटना के भिन्नतायुक्त संस्करण (वृत्तान्त) मौजूद हैं यद्यपि जो सामान्य तौर पर विश्वसनीय प्रतीत होता है तथा शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह संस्करण विस्तृत किए जाने योग्य है। यह निम्नानुसार है :

(i) शिकायतकर्ताओं के संस्करण (वृत्तान्त) के अुनसार, 17 मई, 2013 की रात एडसमेटा के बहुत से निवासी ग्राम एडसमेटा के पेडमपुरा में स्थित 'गमन मंदिर' नाम के मन्दिर के आसपास एकत्रित हुए थे। ग्रामवासियों द्वारा उत्सव मनाए जाने के दौरान गाँव के बुधराम, सोनू तथा लखु भुनी हुए मुर्गी को धोने तालाब गए हुए थे।

(ii) सुरक्षा बल वहाँ पहुँचे तथा गोलियाँ चलाना (फायरिंग) शुरू कर दिया। ग्रामीणों में से एक–बुधराम के बाजू (हाथ) में सुरक्षा बलों द्वारा बंदूक पर लगा चाकू (बैनेट/किर्च) घोंप दिया गया। इस प्रकार हुई अफरा–तफरी से मंदिर के समीप एकत्रित हुए गाँव वाले सभी दिशाओं में दौड़ने लगे। यद्यपि पुलिस बल उन पर गोलियाँ बरसाती रही जिसके परिणाम स्वरूप 08 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि 05 व्यक्ति घायल हो गए तथा घायल हुए व्यक्तियों में से एक की बाद में मृत्यु हो गई।

(iii) घटना में सी.आर.पी.एफ. के एक सदस्य की भी मृत्यु हुई। उक्तमृत सी.आर.पी.एफ. जवान तथा एक असैन्य के शवों को सुरक्षा बल ले गए। कुछ व्यक्तियों का दूसरे दिन अर्थात् 18 मई 2013 को सुरक्षा बलों द्वारा पकड़ा गया। सुरक्षाकर्मी

दोबारा एडसमेटा आए तथा शेष 07 शवों को तथा 04 घायल व्यक्तियों को अपने साथ ले गए। शिकायतकर्ताओं के अनुसार तीन मृतक अवयस्क थे। शिकायतकर्ताओं का प्रकरण आगे यह है कि नक्सली संगठन का कोई भी व्यक्ति सभा में उपस्थित नहीं था।

(iv) कुल 14 व्यक्तियों ने शिकायतकर्ताओं की ओर से अपने शपथ–पत्र प्रस्तुत किए। यद्यपि केवल 9 साक्षियों का शिकायतकर्ताओं की ओर से परीक्षण किया गया। परीक्षित व्यक्तियों में से 03 – करम डेंगल अ.सा. 1, करम लाखो अ. सा. 4 तथा करम अयातु अ.सा. 9 ने चक्षुदर्शी होने का दावा किया। शेष 6 साथियों ने उनको प्राप्त घटना की जानकारी के आधार पर शपथ–पत्र के माध्यम से कथन किया। यह भी उल्लिखित किया जा सकता है कि घटना की जानकारी रखने का दावा कर इस संबंध में कथन करने वाले अधिकांश साक्षियों ने अपने करीबी रिश्तेदार को खोया है जिस पहलू पर बाद में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

5. उपरोक्त के विरूद्ध, प्रतिउत्तरदाता – सुरक्षा बलों के वृत्तांत को सामान्यतः हरिओम सागर के शपथ–पत्र से समझा जा सकता है, जो सी.आर.पी.एफ. के 208 कोबरा बटालियन का उप कमाण्डेन्ट है। उसके वृत्तांत का सार निम्नानुसार है :

(i) हरिओम सागर का कथन है कि घटना की रात 17 मई 2013 को वह सुरक्षा बलों के दल का मुखियाथा उसका कथन है कि 17/05/2013 को कुल सी.आर.पी.एफ. तथा

राज्य पुलिस के संयुक्त बलों के कुल 06 दल ग्राम पीडिया के लिए रवाना हुए थे क्योंकि नक्सलियों के जमा होने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। इस अभियान (ऑपरेशन) में वरीष्ठ अधिकारी ने दलों को समझाया था कि उनका रास्ता इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि ग्रामों के आबादी वाले क्षेत्रों को सुरक्षा बलों की गतिविधि के समय टाला जा सके जिससे स्थानीय निवासी तथा नक्सलियों को गतिविधि की जानकारी न मिल सके।सुरक्षा बलों को 'जी.पी.एस. ट्रैकर', मार्गों के रेखाचित्र (रूटचार्ट) तथा भारत के सर्वेक्षण के नक्शे प्रदान किए गए। उसने कथन किया है कि उसकी अगुवाई वाले संचलन दल में कोबरा बटालियन 208 के 46 सदस्य, सी.आर.पी.एफ. के कोबरा बटालियन 204 के 49 सदस्य तथा राज्य पुलिस के 57 सदस्य थे। इस प्रकार सुरक्षा बलों के 152 सदस्य ग्राम पीडिया की तरफ बढ़े उसके शपथ–पत्र से आगे यह ज्ञात होता है कि रात्रि लगभग 10:30 जब संचलन दल एडसमेटा के समीप थी तब उन्होंने कुछ दूरी पर एक चट्टान पर आग जलते देखा। उसके इर्द–गिर्द 20–50 व्यक्ति एकत्रित हुए थे जिसमें से कुछ के पास हथियार थे। संभावित खतरे को भांपते हुए सुरक्षा बलों ने स्थान (पोजिशन) लिया तथा उनमें से प्रत्येक जहां था वहीं जमीन पर लेट गया।

(ii) हरिओम सागर आगे कथन करता है कि उसने 204 कोबरा बटालियन के आरक्षक बसप्पा उसेण्डी को आगे बढ़कर

नक्सलियों के उपस्थिति के संबंध में वस्तुतः स्थिति पता लगाने के लिए भेजा ताकि वे नक्सलियों द्वारा घिरे जाने से बच सकें। उपरोक्त निर्देश का पालन करते हुए बसप्पा उसेण्डी सुरक्षा बलों के कुछ अन्य सदस्यों के साथ छिपते हुए आगे बढ़ा। इस दौरान कुछ हथियारबंद नक्सली सुरक्षा बलों की ओर बढ़े और तत्पश्चात् सुरक्षा बलों की मौजूदगी का संदेह होने पर उन्होंने उनकी उपस्थिति के संदर्भ में आवाज लगाकर अपने साथियों को गोलीबारी शुरू करने हेतु उकसाया जिसके बाद नक्सलियो द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलियॉ चलाई गई। सुरक्षा बलों ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलियॉचलाई जिसके परिणाम स्वरूप एक नक्सली बुरी तरह जख्मी हो गया जबकि अन्य नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर बचकर भाग निकले। गोलीबारी लगभग आधे घण्टे चली जिसके पश्चात् 'पैरा–बम' दागे गए। 'पैरा–बम' की रोशनी में यह देखा गया कि एक नक्सली मृत पड़ा हुआ था उसकी पीठ पर पिट्ठू बस्ता बंधा हुआ था जबकि उसके बाजू एक भरमार बंदूक पड़ा हुआ था। बंदूक पर 'वेस्ट डिविजन–19' लिखा हुआ था। थोड़ी दूरी पर एक और भरमार बंदूक तथा नक्सलियों द्वारा प्रयुक्त कुछ सामाग्री पड़े हुए थे।

(iii) मुठभेड़ की उपरोक्त घटना में 208 कोबरा बटालियन का एक आरक्षक देव प्रकाश को माथे पर गंभीर चोट आई और वह मौके पर पड़ा हुआ था। घायल आरक्षक देव प्रकार के

उपचार की तत्कालिक आवश्यक्ता पर विचार करते हुए तथा इस पर विचार करते हुए कि वे नक्सलियो द्वारा घेरे जा सकते हैं, सुरक्षा बलों ने गंगालुर लौटने का निर्णय लिया। वे अपने साथ मृत नक्सली का शव, दो भरमार बंदूकें तथा नक्सलियों की कुछ अन्य सामाग्रियां अपने साथ थाना गंगालुर ले आए। बुरी तरह जख्मी आरक्षक देव प्रकाश ने चोटों की वजह से रास्ते में दम तोड दिया।

(iv) हरिओम सागर द्वारा अपने शपथ पत्र में आगे कथन किया गया है कि नक्सलियों में यह बात आम है कि वे स्थानीय ग्रामीणों का एक ढाल अथवा आवरण निर्मित करते हैं। घटना के दौरान भी उनके द्वारा ऐसा ही किया गया था तथा ऐसी ढाल तथा आश्रय का फायदा उठाते हुए वे गोलीबारी के दौरान भाग गए। नक्सलियों द्वारा गोली चलाये जाने के कारण कुछ ग्रामीण घायल हुए और उनमें से कुछ बुरी तरह से जख्मी हुए थे।

(v) अगले दिन पुलिस बल मौके पर गई तथा मृतकों के शवों को थाना गंगालुर ले आई। शवों का पंचनामा बनाने के बाद शवों का शव परीक्षण (पोस्ट मार्टम) कराया गया। घायल व्यक्तियों को उचित उपचार हेतु जगदलपुर तथा रायपुर के उच्चतर चिकित्सा केन्द्रों में भेजा गया। थाना गंगालुर में अपराध दर्ज किया गया जो भा.द.वी. की धारा 147, 148, 149, 302, 207, 120ख अंतर्गत अपराध क्र. 14/2013 था।

6. स्वीकृत तौर पर, संचालन दल (मार्चिंग पार्टी) के एक सदस्य, सी. आर.पी.एफ. आरक्षक देव प्रकाश की घटना की रात मृत्यु हो गई। उसके शव परीक्षण प्रतिवेदन (पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट) का सार निम्नानुसार है :

मृतक का नाम	**चोट की प्रकृति तथा स्थिति**	**शव परीक्षण की तारीख व समय तथा मृत्यु का कारण**
सी.आर. पी.एफ. आरक्षक देव प्रकाश	–दाहिने कान के पीछे गोली के प्रवेश का घाव – निचली तरफ अधिक सीमांत खरोचों वाले किनारे (मार्जिन्स) – घाव के किनारे गोली निकासी के घाव तक शंक्वाकार (कोनिकल) मार्ग बनाते हुए मुड़े हुए हैं –गोली के निकासी का घाव चेहरे के उपरी हिस्से की बायीं ओर फ्रन्टोटेम्पारेल भाग पर है – घाव के किनारे अनियमित हैं – चीर–फाड़ का घाव मौजूद है मृतक की मृत्यु बंदूक की गोली लगने से होना प्रतिवेदित किया गया	–शव परीक्षण 18/05/2013 को दोपहर 2 बजे किया गया। – मृत्यु का समय शव–परीक्षण से 12–18 घण्टे पूर्व होना प्रतिवेदित किया गया। – मृत्यु का कारण/ढंग (मोड) 'सिंकोप' (मस्तिष्क तक रक्त न पहुँचने से कारित मूर्छा प्रतिवेदित किया गया)

7. शिकायतकर्ताओं की ओर से दिए गए मृतकों के नाम तथा उनके निवास स्थान तथा साक्षियों के साथ उनके संबंध निम्नानुसार हैं :

स. क्र.	मृतक का नाम	निवास स्थान	साक्षी के साथ संबंध
1.	करमा जोगा	गयतापारा, एडसमेटा	अ.सा. 5 करम मगलु का भाई
2.	करम बदरू (अवयस्क)	गयतापारा, एडसमेटा	अ.सा. 5 करम अयातु का भतीजा
3.	पुनेम सोनु	कडियापारा एडसमेटा	पुनेम संकी का पुत्र (पुनेम संकी का शपथ–पत्र जमा किया गया था परन्तु उसका प्रति–परीक्षण नहीं हुआ)
4.	पुनेम लाखो (अवयस्क)	कड़ियापारा एडसमेटा	अ.सा. 3 पुनेम बोरी का पुत्र
5.	करम पण्डु	कड़ियापारा एडसमेटा	अ.सा. 2 करम सुक्की का पति
6.	करम गुड्डु (अवयस्क)	कडियापारा एडसमेटा	अ.सा. 2 करम सुक्की का पुत्र
7.	करम मासा	बीचपारा, एडसमेटा	अ.सा. 6 करम सोमली पत्नी लच्छु का पुत्र
8.	करम सोमलु	गयतापारा, एडसमेटा	अ.सा. 7 करम सोमली पत्नी पण्डु का पुत्र

8.करमा लच्छु के पुत्र मृतक करम मासा का शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रत्युत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा उसे प्रदर्श डी. 20 चिन्हित किया गया है। इस पर गौर किया जा सकता है कि घटना की रात उसके शरीर को पुलिस ले गई थी। शव परीक्षण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित चोटों का सार निम्नानुसार है :

मृतक का नाम	चोट की प्रकृति तथा स्थिति	शव परीक्षण की तारीख व समय तथा मृत्यु का कारण
करम मासा आत्मज करमा लच्छु	– शरीर पर गोली लगने का घाव – खोपड़ी के फ्न्टोटेम्पोरल भाग की बायीं ओर सर पर गोली के प्रवेश का घाव – ऑक्सिपिटल पेराइटल भाग पर गोली निकलने का घाव साथ ही भेजा भी बाहर निकला हुआ – दोनों घुटनों तथा कोहनियों के निचले भाग पर खरोचें – फ्न्टल टेम्पोरल तथा ऑक्सिपिटल अस्थि पर अस्थिभंग (फ्रेक्चर)	– शव परीक्षण 18/05/2013 को दोपहर 2 बजे किया गया – मृत्यु 12–24 घण्टे पूर्व होना प्रतिवेदित किया गया – अत्यधिक रक्त स्त्राव सर पर चोट के परिणामस्वरूप आघात ('शॉक) के कारण मृत्यु होना प्रतिवेदित किया गया

9. अन्य शव परीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में चिकित्सकों का परीक्षण नहीं किया गया है। यद्यपि उनके शव परीक्षण प्रतिवेदनों को अभिलेख पर रखा गया है, जिनका सार संक्षेप में निम्नानुसार है:–

(i) मृतक करम बन्दु का शव परीक्षण 19/05/2013 को सुबह 9:30 बजे किया गया। शव परीक्षण में दर्ज प्रतिवेदन तथा चोटों का सार निम्नानुसार है :

मृतक का नाम	चोट की प्रकृति तथा स्थिति	शव परीक्षण की तारीख व समय तथा मृत्यु का कारण
करम बद्रु	– दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग (डॉर्सल सरफेस) पर कटा हुआ घाव – बाएँ हाथ की मध्यमा ऊँगली में अस्थिभंग – पीठ के बाएँ हिस्से पर स्कैपुलर भाग के नीचे गोली लगने का घाव – बाएँ कंधे पर गोली निकासी का घाव जिससे खून बहा है तथा किनारा (मार्जिन) मुड़ा हुआ है	– शव परीक्षण 19/05/2013 को सुबह 9: 30 बजे किया गया – मृत्यु का समय शव परीक्षण से 36 घण्टे पूर्व होना प्रतिवेदित किया गया। – अत्यधिक रक्तस्त्राव के परिणामस्वरूप हृदयगति व श्वास रूक जाने (कार्डियो रेस्पिरेटरी अरैस्ट के कारण मृत्यु हुई)

(ii) मृतक करम सोमलु आत्मज करम सोमिल का शव परीक्षण 19/05/2013 को प्रातः 9: 30 बजे किया गया। शव परीक्षण प्रतिवेदन का सार निम्नानुसार है :

मृतक का नाम	चोट की प्रकृति तथा स्थिति	शव परीक्षण की तारीख व समय तथा मृत्यु का कारण
करम सोमलु आत्मज करम सोमली	– दाहिने घुटने के उपर पार्श्व भाग पर गोली के प्रवेश का घाव – दाहिने घुटने के ठीक उपर मध्य भाग पर गोली निकासी का घाव – बाएँ इलिएक फोस्सा (नितंब की हड्डी) पर गोली के प्रवेश का घाव	– शव परीक्षण 19/05/2013 को प्रातः 9: 30 बजे किया गया – मृत्यु का समय शव परीक्षण से 36 घण्टे पूर्व होना प्रतिवेदित किया गया – अत्यधिक रक्तस्त्राव के परिणाम स्वरूप हुआ आघात (शॉक) के कारण हृदयगति व श्वास बंद हो जाने (कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर) के कारण मृत्यु होना प्रतिवेदित किया गया

(iii) मृतक पुनेम लाखो आत्मज पुनेम बोरी का शव परीक्षण। शव परीक्षण प्रतिवेदन का सार निम्नानुसार है :

मृतक का नाम	चोट की प्रकृति तथा	शव परीक्षण की

	स्थिति	तारीख व समय तथा मृत्यु का कारण
पुनेम लाखो आत्मज पुनेम बोरी	– नितंब के मध्य (एनल डक्ट) से सटे दाहिने पेरिनीयल भाग पर गोली के प्रवेश का घाव – दाहिने जंघास (इग्विनल) भाग पर गोली निकासी का घाव – आँते बाहर निकली हुई ; घाव के किनारे (मार्जिन्स) मुड़े हुए	– शव परीक्षण 19/05/2013 को प्रातः 9: 30 बजे किया गया – मृत्यु का समय शव परीक्षण से 36 घण्टे पूर्व होना प्रतिवेदित किया गया – गोली लगने के घाव से हुए अत्यधिक रक्तस्त्राव के परिणामस्वरूप हृदयगति व श्वास बंद हो जाने (कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर) के कारण मृत्यु होना प्रतिवेदित किया गया

(iv) मृतक करम पण्डु आत्मज करम हुंगा का शव परीक्षण। शव परीक्षण प्रतिवेदन का सार निम्नानुसार है :

मृतक का नाम	चोट की प्रकृति तथा स्थिति	शव परीक्षण की तारीख व समय तथा मृत्यु का कारण
करम पण्डु आत्मज करम हुंगा	–बांए स्पैकुलर भाग पर गोली के प्रवेश का घाव	– शव परीक्षण 19/05/2013 को प्रातः 9: 30

	–स्पैकुलर के मध्य से बांए भाग के बीच मुड़े हुए किनारों के साथ गोली निकासी का घाव –घाव से खून बहता हुआ – बांए क्लैविकुलर भाग में गोली के प्रवेश का घाव – पीठ के निचले हिस्से के दांए भाग पर मुड़े हुए किनारों के साथ गोली निकासी का घाव	बजे किया गया – मृत्यु का समय शव परीक्षण से 36 घण्टे पूर्व होना प्रतिवेदित किया गया – गोली लगने के घाव से हुए अत्यधिक रक्तस्त्राव के परिणामस्वरूप हृदयगति व श्वास बंद हो जाने (कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर) के कारण मृत्यु होना प्रतिवेदित किया गया

(v) मृतक करम गुड्डु आत्मज करम पण्डु का शव परीक्षण। शव परीक्षण प्रतिवेदन का सार निम्नानुसार है :

मृतक का नाम	चोट की प्रकृति तथा स्थिति	शव परीक्षण की तारीख व समय तथा मृत्यु का कारण
करम गुड्डु आत्मज करम पण्डु	–पीठ के उपरी हिस्से के बांयी ओर स्कैपुला के ठीक नीचे गोली	– शव परीक्षण 19/05/2013 को प्रातः 9:30 बजे किया गया

	के प्रवेश का घाव –बांए सीने के निप्पल पर मुड़े हुए किनारों के साथ गोली निकासी का घाव –घाव से खून बहता हुआ – बांए क्लैविकुलर भाग पर गोली के प्रवेश का घाव – पीठ के निचले हिस्से की दायीं ओर मुड़े हुए किनारों के साथ गोली निकासी का घाव	– मृत्यु का समय शव परीक्षण से 36 घण्टे पूर्व होना प्रतिवेदित किया गया – अत्यधिक रक्तस्त्राव के परिणामस्वरूप हृदयगति व श्वास बंद हो जाने (कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर) के कारण मृत्यु होना प्रतिवेदित किया गया

(vi) मृतक पुनेम सानु आत्मज पुनेम गुट्टा का शव परीक्षण / शव परीक्षण प्रतिवेदन का सार निम्नानुसार है :

मृतक का नाम	**चोट की प्रकृति तथा स्थिति**	**शव परीक्षण की तारीख व समय तथा मृत्यु का कारण**
पुनेम सोनु आत्मज पुनेम गुट्टा	–सीने पर गर्दन के ठीक नीचे बायीं ओर, बीच की ओर जाते हुए गोली के प्रवेश का घाव	– शव परीक्षण 19 / 05 / 2013 को प्रातः 9: 30 बजे किया गया – मृत्यु का समय शव परीक्षण से 36

	–गर्दन के पीछे रक्त मिश्रित मुड़े हुए किनारों के साथ रक्त निकासी का घाव –नाक का शुरूआती भाग दबा हुआ – नज़ल सैप्टम में अस्थिभंग	घण्टे पूर्व होना प्रतिवेदित किया गया –अत्यधिक रक्तस्त्राव के परिणामस्वरूप हृदयगति व श्वास बंद हो जाने (कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर) के कारण मृत्यु होना प्रतिवेदित किया गया

(vii) मृतक करम जोगा आत्मज करम अयातु का शव परीक्षण/शव परीक्षण प्रतिवेदन का सार निम्नानुसार है :

मृतक का नाम	चोट की प्रकृति तथा स्थिति	शव परीक्षण की तारीख व समय तथा मृत्यु का कारण
करम जोगा आत्मज करम अयातु	–बांए इंग्विनल भाग में गोली के प्रवेश का घाव। रक्त स्त्राव मौजूद –बाएं रीनल एंगल पर मुड़े हुए किनारों के साथ गोली निकासी का घाव	– शव परीक्षण 19/05/2013 को प्रातः 9: 30 बजे किया गया – मृत्यु का समय शव परीक्षण से 36 घण्टे पूर्व होना प्रतिवेदित

	–बाएं ऑक्सिपिटल फोसा पर गोली के प्रवेश का घाव –बाएं ऑक्सिपिटल फोसा के पीछे गोली निकासी का घाव – पीठ के उपरी हिस्से पर बाएं स्कैपुलर भाग के ठीक नीचे गोली के प्रवेश का घाव –निप्पल पर मुडे हुए किनारों के साथ चौथे इंटरकास्टर स्थान पर गोली निकासी का घाव	किया गया – अत्यधिक रक्तस्त्राव के परिणामस्वरूप हृदयगति व श्वास बंद हो जाने (कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर) के कारण मृत्यु होना प्रतिवेदित किया गया

10. **अब अभिलेख पर मौजूद घायल व्यक्तियों** के चोटों के प्रतिवेदनों पर गौर करना उचित होगा –

(i) **घायल पूनेम सोम्लु का चिकित्सकीय** परीक्षण प्रतिवेदन। **19/05/2013 को जिला चिकित्सालय** बीजापुर में हुए **चिकित्सकीय परीक्षण के चोटों** के प्रतिवेदन का सार **निम्नलिखित है** :

आहत व्यक्ति का नाम	**चोट की प्रकृति तथा स्थिति**	चोट का कारण व अन्य विवरण
पुनेम सोमलु	– बांए कंधे पर उतक तक गहरा	–चोट का कारण

आत्मज पुनेम लाखो	गोली लगने का घाव खून जमा हुआ है – बाएं उपरी भुजा के बाहरी हिस्से पर उतक तक गहरा गोली निकासी का घाव –एक्सरे में बांए ह्यूमेरस पर खण्डित अस्थिभंग पाया गया	गोली लगना प्रतिवेदित किया गया – चोट का समय चिकित्सकीय परीक्षण से 36–48 घण्टे पूर्व होना प्रतिवेदित किया गया

(ii) घायल करम अयातु आत्मज करम चुरसा का चिकित्सकीय परीक्षण प्रतिवेदन। 19/05/2013 को जिला चिकित्सालय बीजापुर में हुए चिकित्सकीय परीक्षण के चोटों के प्रतिवेदन का सार निम्नलिखित है :

आहत व्यक्ति का नाम	**चोट की प्रकृति तथा स्थिति**	**चोट का कारण व अन्य विवरण**
करम अयातु आत्मज करम चुरसा	–दाएं सीने के निचले हिस्से पर खून जमा हुआ गोली के प्रवेश का घाव	–उच्चतर चिकित्सा केन्द्र भेज दिया गया

(iii) घायल करम चोटू आत्मज करम लाखो का चिकित्सकीय परीक्षण प्रतिवेदन। 19/05/2013 को जिला चिकित्सालय बीजापुर में हुए चिकित्सकीय परीक्षण के चोटों के प्रतिवेदन का सार निम्नलिखित है :

आहत व्यक्ति का नाम	चोट की प्रकृति तथा स्थिति	चोट का कारण व अन्य विवरण
करम चोटू आत्मज करम लाखो	–रक्त स्त्राव के साथ उतक तक गहरा गोली के प्रवेश का घाव – एक्सरे में सर के बांए ह्यूमेरस पर अस्थिभंग पाया गया	– चोट का कारण गोली लगना; चोट की प्रकृति गंभीर थी – चोट का समय चिकित्सकीय परीक्षण से 36–48 घण्टे पूर्व

11. अब शिकायतकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संक्षिप्त मूल्यांकन पर चर्चा करना उचित होगा। यह गौर करने लायक है कि शिकायतकर्ताओं की ओर से कुल 09 साक्षियों का परीक्षण किया गया तथा विपक्ष – सुरक्षा बलों की ओर से कुल 05 साक्षियों का परीक्षण किया गया। उक्त साक्षियों के नाम तथा उन्हें दिए गए साक्षी क्र. निम्नानुसार है :

सं.	साक्षी का नाम	साक्षी क्र.

क्र.		
शिकायतकर्ताओं की ओर से		
1	करम डेगल	अ.सा. – 1
2	करम सुकी	अ.सा. – 2
3	करम बोरी	अ.सा. – 3
4	करम लाखो	अ.सा. – 4
5	करम मंगलु	अ.सा. – 5
6	करम सोमली पत्नि लच्छू	अ.सा. – 6
7	करम सोमली पत्नि पण्डु	अ.सा. – 7
8	करम बद्रु	अ.सा. – 8
9	करम अयातु	अ.सा. – 9
विपक्ष– सुरक्षा बल सी.आर.पी.एफ. द्वारा		
10	हरिओम सागर	ब.सा. – 1
11	बसप्पा उसैण्डी	ब.सा. – 2
पुलिस प्रशासन द्वारा		
12	सखाराम मण्डावी	ब.सा. – 3
13	पूरन किशोर साहू	ब.सा.– 4
राज्य सरकार द्वारा		
14	डी.सी. बंजारे	ब.सा.– 5

12. उपरोक्त साक्षियों में से अ.सा. 1 करम डेंगल, अ.सा. 4 करम लाखो तथा अ.सा. 9 करम अयातु का परीक्षण चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में हुआ है। उपरोक्त साक्षियों ने अपने शपथ–पत्रों में दावा किया है कि वे मौके पर उपस्थित थे जबकि शिकायतकर्ताओं की ओर से परीक्षित अन्य साक्षियो ने ऐसा कथन नहीं किया है कि वे मौके पर उपस्थित थे परन्तु उनके संस्करणके अनुसार उन्होंने घटना को दूर स्थित अपने–अपने निवास स्थानों से देखा अथवा गोलियाँ चलने की आवाज सुनी तथा उन्होंने घटना का ब्यौरा जनश्रुति के आधार पर दिया है।

13.यह गौर करने लायक है कि विपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने शिकायतकर्ताओं के साक्षियों के वृत्तान्त मुख्यतः इस आधार पर खण्डन किया है कि उन्होंने असम्यक रूप से काफी समय पर्यन्त भी मामले की जानकारी किसी अधिकारी को नहीं दी तथा सभी संबंधित व्यक्तियों से घटना के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु आयोग के निरंतर और अथक प्रयासों के बावजूद उन्होंनेवर्ष 2017 तक अर्थात् 04 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किए।

14. साक्षियों द्वारा शपथ–पत्र बनाया जाकर इस जाँच में प्रस्तुत करने के तरीके के संबंध में भी अन्य गम्भीर आपत्तियाँ हैं। इसके अलावा उनके कथनों में अनियमितताएँ तथा उनके कथनों में बाह्य

व्यक्तियों के हितबद्ध होने को भी विपक्ष – सुरक्षा बलोंके विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंगित किया गया है। इस प्रकार उठाए गए आपत्तियों तथा प्रतिविरोधो पर सुसंगत चरणों में विस्तृत चर्चा की जाएगी।

15. अ.सा. 1 करम डेंगल ने शपथ–पत्र के माध्यम से कथन किया है कि ग्राम एडसमेटा में 'बीज पण्डुम' त्यौहार मनाया जा रहा था तथा उस संबंध में वहाँ गाँव वालों का जमाव था। उसका कथन है कि लगभग 60–70 ग्रामीण/व्यक्ति उत्सव मनाने हेतु 'गमम मंदिर' के समीप एकत्रित हुए थे। उसका कथन है कि गुनिया (पुजारी) मदिर के भीतर थे जबकि अन्य गाँव वाले बाहर बैठे हुए थे। उसका आगे कथन है कि बुधराम, सोनु तथा लाखो मुर्गे को धोने गाँव के तालाब गए हुए थे जब उसने गोलियाँ चलने की आवाज सुनी जिसके बाद वह तथा अन्य ग्रामीण भागने लगे। उसका आगे कथन है कि जबवह अपने घर की ओर दौड़ रहा था, सुरक्षा बलों ने उन्हें घेर लिया और गोलियाँ चलाने लगे। उसे भी कमर के उपर गोली लगी। उसका कथन है कि उन्होंने दौड़ना जारी रखा तथा एक अन्य गाँव पेड्डम पहुँच गए। उसने आगे वर्णन किया है कि अगले दिन वह अपने गाँव कड़ियापारा आया और उसे ज्ञात हुआ कि 08 व्यक्ति मारे गए थे तथा कुछ अन्य व्यक्ति घायल हुए थे।

16. उसके शपथ–पत्र के उपरोक्त कथन को विपक्ष – सुरक्षा बलोंकी ओर से चुनौती देते हुए यह कहा है कि वास्तव में इस साक्षी को

घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है तथा उसका शपथ–पत्र पहले ही तैयार कर लिया गया था जिस पर उससे उसके अँगूठे का निशान लगवाया गया है। इस संबंध में इस पर ध्यान आकृष्ट कराया गया कि अपने प्रति–परीक्षण की कण्डिका – 4 में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने बिलासपुर में एक दस्तावेज पर अपने अँगूठे का निशान लगाया था। उसने अपने प्रति–परीक्षण की कण्डिका –04 में आगे यह कथन किया है कि उसे यह नहीं पता कि उस दस्तावेज में क्या लिखा हुआ था जिस पर इसने अपने अँगूठे का निशान लगाया। विपक्ष–सुरक्षा बलों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया कि साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटना के विषय में 3–4 साल तक किसी को नहीं बताया और बाद में बिलासपुर से कुछ लोग आए हुए थे जिन्होंने कहा कि वे उनके (गाँव वालों के) मामले को आगे बढ़ाएँगे तथा वे उनके साथ चर्चा कर घटना का वर्णन करेंगे। अपने **प्रति–परीक्षण की कण्डिका–10में आगे उसका कथन है कि बिलासपुर से आए हुए 04 व्यक्तियों ने उन्हें (गाँव वालों को) बताया कि घटना किस प्रकार घटित हुई थी।**

17.विपक्ष – सुरक्षा बलोंके विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि साक्षी की उपरोक्त स्वीकृति स्वतः स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि साक्षी को घटना की कोई जानकारी नहीं थी तथा उसने शपथ–पत्र नहीं लिखवाया तथा उसने शपथ–पत्र में लिखे बातों का शपथपूर्वक कथन नहीं किया तथा शपथ–पत्र पहले से ही तैयार कर रखा

हुआ था जिस पर उसने केवल अपने अँगूठे का निशान लगाया, जैसा उसे निर्देशित किया गया।

18.आगे यह निवेदन भी किया गया कि साक्षी ने आगे यह स्वीकार किया है कि उसने 3–4 वर्ष के लम्बे समय तक न किसी को घटना की जानकारी दी और न ही किसी के समक्ष घटना को उजागर किया, जो कि बहुत ही अस्वाभाविक है तथा उसके कथन को अविश्वसनीय बना देती है।उपरोक्त परिपेक्ष्य में यह निवेदन भी किया गया कि साक्षी बिलासपुर से बहुत दूर रहता है जहाँ उसे सुनीता नामक युवती के द्वारा एक महिला अधिवक्ता के पास ले जाया गया था। यह निवेदन किया गया कि यह गौर किए जाने लायक है कि स्वयं साक्षी के ही स्वीकृति के अनुसार वह इससे पहले कभी गाँव के बाहर नहीं गया था, जो साफ तौर पर उसके कथन का अस्वभाविक बना देता है। इस पर भी ध्यान आकृष्ट किया गया कि इस साक्षी ने यह कथन भी किया है कि सुनीता जो इन्हें लेकर गई थी उसकी आयु 8–9 वर्ष थी जबकि इस संबंध में अन्य गवाह का कथन है कि सुनीता एक वयस्क महिला थी, जो स्पष्ट रूप से इस साक्षी के कथन के विपरीत है। गवाह ने अपनी पहचान प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है और यह कारक भी उसके कथन की वास्तविकता पर संदेह उत्पन्न करता है तथा उसे अविश्वसनीय बना देता है। इस प्रकार, यह निवेदन किया गया कि यह गवाह एक सिखाया–पढ़ाया हुआ गवाह है तथा उसके शपथ–पत्र का कथन विश्वास किए जाने योग्य बिलकुल भी नहीं है।

19. शिकायतकर्ताओ की ओर से परीक्षित एक अन्य चुक्षुदर्शी साक्षी करम लाखो अ.सा. 4 है। शपथ–पत्र में उसका कथन संक्षेप में यह है कि वह एडसमेटा का निवासी है। घटना 'बीज पुण्डुम' त्यौहार मनाए जाने के दिन घटित हुई। उसका कथन है कि उसके गाँव एडसमेटा–कडियापारा 'गमम मंदिर' गए हुए थे तथा उत्सव के दौरान मुर्गा काटे जाने के बाद उसे प्यास लगी इसलिए वह सुकु तथा बुधराम के साथ गाँव के तालाब पर गया जहाँ उन्हें पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया। बुधराम को दाहिने हाथ में बंदूक पर लगे चाकू (बैनेट/किर्च) से जख्मी किया गया। तत्पश्चात् गोलीबारी शुरू हुई। सोमलु को जाँघ के उपरी हिस्से मे गोली लगी। तत्पश्चात् वह भागकर कड़ियापार पहुँच गया जहाँ बुधराम भी आ गया। उसका आगे कथन है कि घटना के लगभग 06 महीने बाद बुधराम की मृत्यु हो गई।

20.विपक्ष – सुरक्षा बलोंकी ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह यह नहीं जानता कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में क्या लिखा हुआ था। आगे उसका कथन है कि शपथ–पत्र ग्राम गीदम में लिखा गया था जिसके पश्चात् उसने दन्तेवाड़ा में उस शपथ–पत्र पर अपने अंगूठे का निशान लगाया। उसका यह भी कथन है किवे 27–28 वर्षीय सुनीता के साथ के. के. दुबे नाम के एक अधिवक्ता के घर गए थे। विपक्ष – सुरक्षा बलोंकी ओर से निवेदन किया गया कि करम लाखो अ.सा. 4 का उपरोक्त कथन

यह बिलकुल स्पष्ट करता है कि साक्षी करम लाखो का शपथ–पत्र घटना तथा घटनाक्रम के उसके वर्णन के आधार पर नहीं लिखा गया था तथा वह शपथ–पत्र पहले ही तैयार कर लिया गया था तथा इस साक्षी को दिए गए निर्देशानुसार इस साक्षी से सिर्फ अंगूठे का निशान लगवाया गया।

21. यहाँ इस पर गौर किया जा सकता है कि करम लाखो अ.सा. 4 का कथन है कि सुनिता जो उसके साथ गई, उसकी आयु 27–28 वर्ष थी। सुनिता की आयु के विषय में यह कथन सुनीता की आयु के विषय में करम मंगलु अ.सा. 5 के कथन के विपरित है, जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है। विपक्ष– सुरक्षा बल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया कि साक्षी करम लाखो अ.सा. 4 ने अपने प्रति–परीक्षण की कण्डिका 3 में साफ तौर से स्वीकार किया है कि पिछली सुनवाई की तारीख को भी वह आया हुआ था परन्तु उसने अपना कथन दर्ज नहीं कराया क्योंकि उसे पता या याद नहीं था कि क्या कहना था। उसने आगे यह भी स्वीकार किया है कि अब उसने अपना कथन सीख कर रट लिया है इसलिए वह अब कथन दर्ज कराने आया है। आगे कण्डिका 7 में उसका कथन है कि उसने 05 साल के लम्बे समय बाद शपथ–पत्र दाखिल करते तक घटना का जिक्र नहीं किया क्योंकि उसे घटना की जानकारी नहीं थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसे घटना के विषय में गाँव वालों के द्वारा बताया गया था।

22.इस प्रकार लाखो अ.सा. 4 के उपरोक्त स्पष्ट स्वीकृतियों से यह बिलकुल स्पष्ट है कि वह एक सिखाया–पढ़ाया गया साक्षी है तथा वह स्वयं घटना के विषय में कुछ नहीं जानता। इसलिए उसका कथन बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है तथा पूरी तरह निरर्थक है। अतः करम लाखो अ.सा. 4 के कथन में कोई बल नहीं रह जाता तथा यह किसी तरह भी स्वीकार्य तथा विश्वसनीय नहीं है।

23.शिकायतकर्ताओं की ओर से परीक्षित एक अन्य कथित चुक्षुदर्शी साक्षी करम अयातु अ.सा.– 9 है। करम आयु का कथन है कि वह गोंडी बोली बोलता है तथा हिन्दी भाषा की उसे बहुत कम जानकारी है। आगे उसका कथन है कि उसके परिवार के तीन सदस्य – करम गुड्डु, करम मासा तथा करम पण्डु उन आठ व्यक्तियों में से थे जो घटना के दौरान मारे गए।

24. करम अयातु अ.सा. 9 ने अपने शपथ–पत्र में घटना का वर्णन करते हुए कथन किया है कि संध्या 8–9 बजे 'गमम मंदिर' में 'बीज पण्डुम' त्यौहार मनाया जा रहा था। उसका कथन है कि वह मंदिर के भीतर पत्तल बना रहा था जब बुधराम, सोनु तथा लाखो मुर्गे को धोने के लिए तालाब गए हुए थे। उसका आगे कथन है कि अचानक बुधराम चिल्लाया कि वहाँ पुलिस आ गई थी और उसके बाद गोलियाँ चलने की आवाज आई। आगे उसका कथन है कि गोलियाँ चलने की आवाज पहले तालाब की दिशा से आई और उसके बाद सभी दिशाओं से गोलीबारी शुरू हो गई। आगे उसका कथन है कि लाखा (अ.सा. 4) भाग गया जबकि पुलिस

बल ने बुधराम को चाकू घोंप दिया तथा सोनू को गोली मार दी। उसका कथन है कि उसने मंदिर के पास एक 'सुल्फी' वृक्ष का आश्रय लिया तथा तत्पश्चात् भयभीत होने के कारण वह मौके से भागने लगा। यद्यपि कुछ दूर पहुँचने पर पुलिस बल के एक सदस्य ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई चाकू था जिस पर साक्षी करम अयातु ने कोई चाकू न होना बताया तथा उसने पुलिसकर्मी को बताया कि उसके पास केवल एक 'टॉर्च' थी और कुछ नहीं। करम अयातु अ.सा. 9 आगे कहता है कि उसके बाद पुलिसकर्मी ने उसे बंदूक के हत्थे से पीटा।

25. करम अयातु अ.सा. 9 ने आगे वर्णन किया है कि पुलिस बल द्वारा उसके हाथों को एक लुंगी से बाँध दिया गया तथा उसे मंदिर तक घसीटा गया। मंदिर पर उसने देखा कि गाँव के कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों को भी पुलिस बल ने पकड़ा था। उसका कथन है कि पुलिस कर्मियों ने करम मासा, पेरमपारा के निवासी करम अयातु तथा गयतापारा के निवासी एक अन्य करम अयातु को लातों से मारा। उसके कथनानुसार यह सभी व्यक्ति–करम मासा, पेरमपारा निवासी करम अयातु तथा गयतापारा निवासी करम अयातु, लगभग 60–70 वर्ष की आयु वाले बुजुर्ग हैं। उपरोक्त व्यक्तियों को पुलिस कर्मियों ने पीटने के बाद मुक्त कर दिया। आगे उसका कथन है कि दो अन्य व्यक्ति–गयतापारा निवासी करम लच्छु तथा बीयपारा निवासी करम मन्नु को भी पुलिस कर्मियों ने पकड़कर अभिरक्षा में रखा था। आगे उसका कथन है कि तत्पश्चात् पुलिस कर्मियों ने कुछ गैस (सम्भवतः 'पैरा–बम') का प्रयोग किया जिससे पूरे इलाके

में रोशनी हो गई। उक्त रोशनी में उसने मासा तथा पुलिस बल के एक सदस्य के शवों को आजू–बाजू पड़े हुए देखा।

26.करम अयातु अ.सा. 9 का आगे कथन है कि मासा एक लाल रंग का टी–शर्ट तथा 'हाफ–पैन्ट' पहने हुए था तथा पीठ के बल नीचे की ओर पड़ हुआ था जबकि पुलिसकर्मी का शव वर्दी में था तथा औंधे मुँह पड़ा हुआ था। करम अयातु अ.सा. 9 ने अपने शपथ–पत्र में आगे कथन किया है कि पुलिसकर्मी उसे घसीटकर पास के एक मैदान में ले गए तथा एक मोटे डण्डे से दुबारा उसकी पिटाई की तत्पश्चात् उसके गर्दन तथा हाथों को एक रस्सी से बाँध दिया। पुलिसकर्मी करम मन्नु तथा करम लच्छु को भी वहाँ ले आए और उनके हाथों को रस्सी से बाँध दिया। उसनेआगे कथन किया है कि तत्पश्चात् पुलिसकर्मी किसी के घर से एक खाट निकाल लाए। उसका आगे कथन है कि मासा के हाथो तथा पैरो को बाँधकर उसके शव को एक बाँस से बाँधकर उसी तरह थाने ले जाया गया था। उसका कथन है कि तत्पश्चात् पुलिस बल उसे घसीट कर गंगालुर थाने ले आई। उसका कथन है कि उसके साथ–साथ करम मंगु तथा करम लच्छु को भी पकडकर थाने लाया गया था। उन्हें थाने में भी पीटा गया और तत्पश्चात् उन्हें एक आम के पेड़ से बाँध दिया गया। बाँधने के बाद उन्हें फिर पीटा गया जिससे उनका खून बहने लगा।

27.अपने शपथ–पत्र के संस्करणमें करम अयातु अ.सा. 9 का आगे कथन है कि कुछ देर बाद गाँव की महिलाएँ भी थाने आ गई और

हालॉकि उसने उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया यद्यपि वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वह जोर से बोलने में असमर्थ था क्योंकि पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटे जाने से वह थक चुका था। अपने शपथ–पत्र में आगे उसका कथन है कि उसके साथ–साथ लच्छु तथा मंगु को थाने के भवन के भीतर ले जाया गया तथा उससे करम मासा के शव की शिनाख्ती करवाई गई। उसका कथन है कि तत्पश्चात् मासा के शव को थाने के पीछे ले जाया गया जहाँ कुछ व्यक्तियों ने मासा के पेट को लगभग 6 इंच काटकर उसका शव परीक्षण (पोस्ट मोर्टम) किया।

28. करम अयातु अ.सा. 9 आगे कथन है कि कुछ देर बाद बीजापुर से कुछ अधिकारी आए तथा उनसे घटना के बारे में पूछताछ की। उसका कथन है कि उसने अधिकारी को बताया किवे 'बीज पण्डुम' त्यौहार मना रहे थे तथा पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी की आवाज सुनकर वह डर गया और मौके से भागने लगा तब पुलिस बल ने उसे पकड़ लिया। उसका आगे कथन है कि उसे तथा अन्य ग्रामीणों को पकड़ लिया गया तथा पुलिस बल ने उनसे कुछ दस्तावेजों पर अँगूठे के निशान लगवाए। उनकी पत्नियो को भी थाने के भीतर बुलाया गया तथा उनसे भी कुछ कागजों पर अँगूठों के निशान लगवाए गए। फिर वे अपने गाँव एडसमेटा लौट गए।

29.करम अयातु अ.सा. 9 के शपथ–पत्र में उसके आगे का कथन इस आशय का है कि गयतापारा के करम मंगु, बीचपारा के करम मंगु, बीचपारा के करम लाखु तथा कड़ियापारा के कामम लाखो को वर्ष

2017 में पुलिस उनके गाँव से ले गई। यह वही वर्ष था जिसमें उन्होंने शपथ–पत्र बनवाए। यह कथन किया गया कि महिलाएँ उन्हें छुड़ाने थाने गई थीं। यद्यपि पुलिस कर्मी जिद्द कर रहे थे कि यदि वे उसी समय अनुकम्पा की राशि स्वीकार कर लें तो करम अयातु अ.सा. 9 सहित इन व्यक्तियों को छोड दिया जाएगा। आगे महिलाओं ने अनुकम्पा राशि स्वीकार करने से मना कर दिया। बीचपारा के करम लाखो तथा कडियापारा के करम लाखो से कुछ दस्तावेजों पर उनके अँगूठों के निशान लगवाए गए। करम अयातु द्वारा उसके शपथ–पत्र में यह कथन भी किया गया कि जब भी पुलिस बल उनके गाँव की महिलाओं को जब भी गाँव के बाजार इत्यादि में देखते थे, वे उन पर घटना में मारे गए व्यक्तियों को अनुकम्पा राशि स्वीकार करने हेतु दबाव बनाते थे। यद्यपि उन्होंने अनुकम्पा राशि स्वीकार करने से मना कर दिया।

30.साक्षी करम अयातु अ.सा. 9 ने आगे कथन किया कि पहले उन्हें इस जाँच की कोई जानकारी या सूचना नही थी। उसका कथन है कि यदि उन्हें जाँच की सूचना मिली होती तो वे प्रस्तुत होकर अपने कथन दर्ज करवाते। उसका कथन है कि घटना दिनॉक को ग्रामीणों का जमाव 'बीज पण्डुम' त्यौहार मनाने हेतु हुआ था तथा सभा में कोई भी 'नक्सली' मौजूद नहीं था।

31.कथित चक्षुदर्शी साक्षी करम अयातु अ.सा. 9 के उपरोक्त कथन का विस्तार में प्रति–परीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि 'बीज पण्डुम' त्यौहार वर्षा ऋतु से ठीक पहले मनाया जाता है। विपक्ष–

सुरक्षा बलों की ओर से निवेदन किया गया कि बस्तर में वर्षा ऋतु 15 जून के पश्चात् प्रारम्भ होती है। अतः यह निवेदन किया गया कि घटना दिनाँक 17 मई को 'बीज पण्डुम' त्यौहार मनाने का कोई औचित्य नहीं था। इस प्रकार यह निवेदन किया गया शिकायतकर्ताओं की ओर से घटना दिनाँक को हुए जमाव का बताया गया कारण स्वीकार्य नहीं है।

32. आगे यह निवेदन किया गया कि 21 जून 2017 को शपथ–पत्र का निष्पादन ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ है जो उक्त शपथ–पत्र को बहुत ही संदेहास्पद दस्तावेज बनाते हैं। इस संबंध में इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया कि करम अयातु अ.सा. 9 का कथन है कि शपथ–पत्र बनवाने हेतु करम अयातु के साथ छः अन्य लोग गीदम गए थे तथा किसी ऐसी 'मैडम' के स्थान पर रूके थे जिनका नाम वे नहीं जानते तथा बाद में वे इस 'मैडम' के साथ जगदलपुर आए। उसका आगे कथन है कि अपने शपथ–पत्र बनवाने हेतु वे पहले किसी सुनीता के साथ गए थे। अपने प्रति–परीक्षण की कण्डिका – 5 में उसका कथन है कि वह सुनीता के पास ग्राम कोरसेल गया और फिर वे बस द्वारा कोरसेल से बिलासपुर हेतु रवाना हुए। विपक्ष – सुरक्षा बलोंके विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया कि साक्षी ने अपना संस्करणबदल दिया तथा कथन किया कि पहले वे एडसमेटा से गंगालुर गए फिर वहाँ से वे बीजापुर गए, फिर बीजापुर से गीदम गए और फिर गीदम से बिलासपुर गए तथा साक्षी ने फिर से अपना संस्करणबदलते हुए कथन किया कि वे

एडसमेटा से बीजापुर गए और रात में वहीं ठहरे और उसके बाद बस से वे बिलासपुर किसी 'मैडम' के घर गए जिनका नाम वे नहीं जानते। अपने प्रति–परीक्षण की कण्डिका – 8 में उसका कथन है कि शपथ–पत्र बिलासपुर में 'मैडम' द्वारा लिखा गया जिसे बाद में बिलासपुर न्यायालय में टंकित करवाया गया। उसका कथन है कि वे बिलासपुर में मैडम के घर पर दो दिन रूके।

33.प्रति–परीक्षण में आया उपरोक्त कथन स्पष्ट रूप से इस ओर इशारा करता है कि साक्षी तथा उसके साथ आए व्यक्तियों के शपथ–पत्र किन्हीं अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनाए गए जिन्हें साक्षी नहीं जानता तथा निश्चित रूप से यह शपथ–पत्र साक्षी के अनुरोध पर नही बनाए गए। उसका कथन यह भी इंगित करता है कि घटना के बाद काफी समय बीत जाने के बाद कुछ बाहरी व्यक्तियों ने आकर उसे गवाही देने हेतु बनाया ताकि उसे न्याय मिल सके। उसके प्रति–परीक्षण से यह भी प्रतीत होता है कि उन बाहरी व्यक्तियों ने इस साक्षी (करम अयातु अ.सा. 9) को इस आशय का कथन करने हेतु उकसाया कि उसे पुलिस बल द्वारा पीटा गया। विपक्ष – सुरक्षा बलोंके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि साक्षी के उपरोक्त कथन तथा स्वीकृति स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि साक्षी के शपथ–पत्र का कथन पूरी तरह अविश्वसनीय है।

34.विपक्ष – सुरक्षा बलोंके अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि साक्षी स्वीकार करता है किवह अपने गॉव एडसमेटा से पहली बार बाहर निकला था तथा उसने गीदम, गंगालुर सहित विभिन्न

स्थानों की यात्रा की तथा तत्पश्चात् वह दूर स्थित बिलासपुर गया। साक्षी से शपथ–पत्र में प्रयुक्त बहुत से शब्दों के अर्थ पूछे जाने पर साक्षी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह उन शब्दों के अर्थ जानता या समझता नहीं है। वह यह भी स्वीकार करता है कि उसे किसी 'सोनी सोडी मैडम' के साथ ठहराया गया था, जिसे वह नहीं जानता। वह आगे स्वीकार करता है कि बिलासपुर में भी वह 02 दिन एक 'मैडम' के साथ ठहरा, जिसका नाम वह नहीं जानता तथा जिससे वह परिचित नहीं था। इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया कि साक्षी अपने आप विभिन्न दूरस्थ स्थानों पर जाएगा तथा अपरिचित महिलाओं के साथ ठहरेगा, जैसा कि उसके द्वारा कथन किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया कि ऐसी कोई वजह नहीं थी कि किसी उद्देश्य या कारण के बिना गीदम अथवा बिलासपुर में महिलाएँ साक्षी व अन्य की कई दिनों तक मेजबानी करें तथा बिना किसी उद्देश्य के तथा उन्हें न जानते हुए उन्हें ठहरने के लिए स्थान, भोजन इत्यादि प्रदान करें।

35.विपक्ष – सुरक्षा बलोंकी ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया कि व्यक्ति जिन्होंने साक्षी को सलाह दी, उसकी मेजबानी की तथा उसके शपथ–पत्र लिखे, वे जाँच आयोग के समक्ष उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने हेतु उपस्थित नहीं हुए जिनमें उन्होंने साक्षी को शपथ–पत्र बनवाने हेतु मनाया। चाहे कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि शपथ–पत्र करम अयातु अ.सा. 9 अथवा उसके साथ आए अन्य व्यक्तियों द्वारा स्वयं नहीं बनवाए गए । अतः शपथ–पत्रों में उल्लिखित संस्करणमहत्व अथवा अवनंबन के

योग्य नहीं है। स्पष्टः घटना के चार वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद शपथ–पत्र के माध्यम से किए गए साक्षी के कथन ऐसे कई कारकों से भरा हुआ है जो साफ तौर पर इशारा करता है कि शपथ–पत्र इस साक्षी के बताए अनुसार नहीं बनाया गया था तथा साक्षी को शपथ–पत्र में अगूठे का निशान लगवाने हेतु उकसाया गया था तथा प्रलोभन दिया गया था। स्पष्टतः यह शपथ–पत्र खुद पर विश्वास नहीं दिलाता तथा इसे घटना के सच्चे वर्णन के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

36. इस प्रकार, कथित चक्षुदर्शी साक्ष्य करम डैगल अ.सा. 1, करम लाखो अ.सा. 4 तथा करम अयातु अ.सा. 9 के द्वारा उनके शपथ–पत्रों में देर से दिया गया आँखों देखा ब्यौरा स्वयं उनका सच्चा ब्यौरा नहीं है तथा विश्वसनीय नहीं है। उनमें उल्लिखित संस्करणपर विश्वासकर उसे स्वीकार नही किया जा सकता।

37.अब शेष छः साक्षी–करम सुकी अ.सा. 2, पुनेम बारी अ.सा. 3, करम लाखो अ.सा. 4, करम मंगलु अ.सा. 5, करम सोमली पत्नी लच्छु, अ.सा. 6, करम सोमली पत्नी पण्डु, अ.सा. 7 तथा करम बद्रु अ.सा. 8, जो चक्षुदर्शी साक्षी होने का दावा नहीं करते, उनके शपथ–पत्रों में दिए गए संस्करणविचार में लिए जाने योग्य हैं। इस पर गौर किया जा सकता है कि उपरोक्त सभी मृतकों अथवा घायलों के करीबी रिश्तेदार हैं जिनके बारे में आगे विस्तार में बताया जाएगा।

38.करम सुकी अ.सा. 2 के शपथ–पत्र के अुनसार यह प्रतीत होता है कि स्वीकृत तौर पर घटना में मृत करम पण्डु उसका पति था जबकि मृतक करम गुड्डु उसका पुत्र था। इस बात पर विवाद नहीं है कि उक्त मृत व्यक्तियों की मृत्यु घटना के दौरान हुई थी। यद्यपि जहाँ तक वास्तविक घटना था उसके लिए जिम्मेदार परिस्थितियो का प्रश्न है, करम सुकी के शपथ–पत्र का कथन उन्हें अजागर नहीं करता है। उपरोक्त के संदर्भ में यह उल्लिखित किए जाने लायक है कि वह मौके पर उपस्थित नहीं थी तथा रात्रि–भोजन कर लेने के बाद वह अपने घर में सोई हुई थी। उसने आगे कथन किया है कि गोलियाँ चलने के आवाज सुनने पर वह मौके की ओर दौड़ी जहाँ रास्ते में उसने अपने पति करम पण्डु का शव पड़ा हुआ देखा। उसके पीठ पर गोली लगी थी। उसने अपने शपथ–पत्र में आगे कथन किया है कि बाद में उसके परिवार के अन्य सदस्यों को उसके पुत्र करम गुड्डु का शव मिला जो मंदिर से कुछ दूरी पर पड़ा हुआ था।

39.प्रति परीक्षण में करम सुकी अ.सा. 2 ने स्वीकार किया तथा दोहराया कि उसे घटना की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है तथा घटना के समय वह सो रही थी। उसने आगे कथन किया कि वह यह नहीं जानती की उसके शपथ–पत्र में क्या लिखा हुआ है। वास्तव में उसने स्वीकार किया है कि दस्तावेज (शपथ–पत्र) तैयार रखा हुआ था तथा ग्राम मातेम में उसने उस पर अपने अंगूठे का निशान लगाया। अतः उपरोक्त से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि शपथ–पत्र के लेख करम सुकी अ.सा. 2 के बताए अनुसार नहीं

लिखे गए थे बल्कि किसी और के बताए अनुसार यह शपथ–पत्र तैयार किया गया था तथा उस पर उसके अंगूठे का निशान लगवाया गया। अतः करम सुकी अ.सा. 2 का उसके शपथ–पत्र में किया गया कथन घटना तथा घटना के कारण पर कोई प्रकाश नहीं डालता है तथा यह साक्षी करम सुकी अ.सा. 2 का वृत्तांत भी नहीं है बल्कि केवल एक हेर–फेर युक्त दस्तावेज है। अतः यह पूरी तरह महत्वहीन है तथा अवलंबन लिए जाने योग्य नहीं है।

40.एक अन्य गवाह पुनेम बोरी अ.सा. 3 जिसने अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है, के शपथ–पत्र से यह प्रकट होता है कि उसका पुत्र पुनेम लाखु घटना में मारा गया था। पुनेम बारी घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा घटना की चक्षुदर्शी साक्षी होने का वह दावा भी नहीं करती है। उसका कथन है कि वह रात्रि–भोजन के पश्चात् सोई हुई थी जब उसने गोलियाँ चलने की आवाज सुनी। तबवह मंदिर की ओर दौड़ी और उसने पाया कि उसके पुत्र लाखु का शव मंदिर से कुछ दूरी पर पड़ा हुआ था। उसने अपने शपथ–पत्र में आगे कथन किया है कि वह अपने पुत्र लाखु का शव लेने वापस आई।

41.इस पर गौर किया जा सकता है कि पुनेम बोरी अ.सा. 3 के शपथ–पत्र के कथन में अनेक विरोधाभास मौजूद हैं। उदाहरणार्थ शपथ–पत्र की कण्डिका – 5 में पुनेक बोरी अ.सा. 3 का कथन है कि वह रात्रि–भोजन करने के पश्चात् सो गई थी। यद्यपि कण्डिका – 6 में उसका कथन है कि गोलियों की आवाज सुनने

पर वे अपना भोजन छोड़कर मंदिर की ओर दौड़े। प्रति–परीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि चूँकि वह 'बीज पण्डुम' त्यौहार मनाने के बाद थकी हुई थी इसलिए वह सो गई थी। उपरोक्त विरोधाभास स्पष्ट रूप से उसके शपथ–पत्र के कथन को अविश्वसनीय बनाते हैं तथा उसकी सत्यता पर गम्भीर प्रश्न–चिन्ह लगाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रति–परीक्षण के दौरान कण्डिका – 17 में उसकी खुद की स्वीकृति से यह प्रतीत होता है कि घटना घटित होने से पूर्व 'बीज पण्डुम' त्यौहार मनाया जा चुका था। अतः शिकायतकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत संस्करणकी घटना 'बीज पण्डुम' उत्सव मनाए जाने के दौरान घटित हुई, भी गलत साबित होता है। यह भी गौर किए जाने लायक है कि पुनेम बोरी अ.सा. 3 तथा करम सुकी अ.सा. 2 ने स्वीकार किया है कि 'बीज पण्डुम' त्यौहार परिवार के साथ घर में मनाया जाता है। यह स्वीकृति शिकायतकर्ताओं के इस कथन के ठीक विपरीत है कि घटना के समय मंदिर में 'बीज पण्डुम' त्यौहार मनाया जा रहा था। इस पर भी गौर किया जा सकता है कि पुनेम बारी अ.सा. 3 ने अपने प्रति–परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना से संबंधित दस्तावेज पहले से ही लिखकर तैयार रखे हुए थे तथा उस पर इन साक्षियों से केवल अंगूठे का निशान लगाने को कहा गया तथा इन्होंने वैसा ही किया। उसने यह भी स्वीकार किया है शपथ–पत्र निष्पादित किए जाने से पूर्व ग्राम मातेम में एक सभा आयोजित हुई थी जिसमें उन्हें बताया गया था कि घटना किस प्रकार घटित हुई थी।

42. उपरोक्त स्वीकृतियों से यह काफी स्पष्ट है कि शपथ–पत्र पहले ही तैयार कर लिए गए थे तथा उसके लेख पहले ही लेखबद्ध किए जा चुके थे तथा ग्राम मातेम में साक्षियों द्वारा न जाने वाले कुछ व्यक्तियों के बताए अनुसार साक्षियों से शपथ–पत्रों में अंगूठे के निशान लगवाए गए। अतः ऐसे शपथ–पत्रों के लेख किसी भी रूप से शिकायतकर्ताओं के प्रकरण का समर्थन नहीं कर सकते।

43. शिकायतकर्ताओं की ओर से परीक्षित एक अन्य साक्षी करम मंगलु अ.सा. 5 ने अपने शपथ–पत्र में कथन किया है कि 17 मई 2013 में ग्राम एड्समेटा में 'बीज पण्डुम' त्यौहार मनाया जा रहा था। उसने शपथ–पत्र में आगे कथन किया है कि उसके गाँव के अनेक व्यक्ति 'बीज पण्डुम' त्यौहार मनाने 'गमम मंदिर' गए हुए थे। अपने शपथ–पत्र में उसने स्वीकार किया है कि वह उत्सव में शामिल होने नहीं गया था। यद्यपि अपने शपथ–पत्र की कण्डिका – 4 में उसने घटना का वर्णन इस प्रकार किया है मानो वह वहाँ मौजूद रहा हो हालाँकि उसकी स्वयं की स्वीकृति के अनुसार वह मौके पर उपस्थित नहीं था। उसके शपथ–पत्र की कण्डिका – 8 में आगे उसकी स्वीकृति है कि वे गाँवमें थे जब उन्होंने गोलियाँ चलने की आवाज सुनी जिसके बाद वह इस कारण वन की ओर भागा कि कहीं पुलिस उसे भी न पकड़ ले। अपने शपथ–पत्र की कण्डिका – 10 में वह आगे कथन करता है कि अगली सुबह वह गाँव लौटा और उसे घटना के विषय में बताया गया।

44. इस प्रकार, उपरोक्त स्वीकृतियों को दृष्टिगत रखेते हुए उसके द्वारा घटना का वर्णन विरोधाभासी है। अतः यह स्पष्ट है कि उसे घटना के संबंध में व्यक्तिगत जानकारी नहीं है तथा घटना के संबंध में उसके कथन को केवल जनश्रुति आधारित साक्ष्य माना जा सकता है और इसलिए उसका अवलंबन नहीं लिया जा सकता। उसके शपथ–पत्र की कण्डिका – 4, कण्डिका – 5 तथा कण्डिका – 7 में घटनाक्रम का वर्णन स्पष्टतः उसकी नहीं है अतः वह महत्वहीन हो जाता है। उपरोक्त संदर्भ में आगे इस बात पर भी गौर किया जा सकता है कि अपने प्रति–परीक्षण की कण्डिका – 2 में उसने पुनः स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह मौके पर नहीं गया था तथा उसने घर में रहते हुए गोलियाँ चलने की आवाज सुनी। उसने आगे स्वीकार किया है कि शपथ–पत्र दन्तेवाड़ा में निष्पादित किया गया था तथा कुछ अनजान व्यक्तियों ने शपथ–पत्र के लेख लिखे। वह कहता है कि वह उनसे ग्राम मट्‌टेनार में मिला तथा वह उनके साथ दन्तेवाड़ा गया। वह कहता है कि शपथ–पत्र ग्राम मट्‌टेनार में तैयार किए गए तथा उन्होंने उस पर दन्तेवाड़ा में अपने अंगूठे के निशान लगाए। उसका आगे कथन है कि डिग्री चौहान नामक एक व्यक्ति ने शपथ–पत्र के लेख लिखे थे। उसका आगे कथन है कि वह उस व्यक्ति डिग्री चौहान से परिचित नहीं है। उसका यह भी कथन है कि डिग्री चौहान ने उसे बताया कि घटना किस प्रकार घटित हुई थी। उसका कथन है कि कुछ महिलाओं ने उसे बताया कि घटना किस प्रकार घटित हुई थी। आगे उसके प्रति–परीक्षण में प्रकट होता है कि करम मंगलु अंग्रेजी कलेण्डर की तारीखें, महीने व वर्ष

नहीं जानता। आगे उसके प्रति–परीक्षण से स्पष्ट है कि ग्राम मट्टेनार में उन्हें वहाँ आए हुए पत्रकारों को घटना के विषय में बताने हेतु निर्देशित किया गया था। अपने प्रति–परीक्षण की कण्डिका – 4 में उसका कथन है कि उन्हें ग्राम मट्टेनार में घटना के विषय में बताया गया जहाँ पत्रकार एकत्रित हुए थे। उसका आगेकथन है कि शपथ–पत्र निष्पादित से पूर्व (जिसे दिसम्बर 2016 में निष्पादित किया गया) उसने किसी को घटना के विषय में नहीं बताया था। असम्यक रूप से देर का अस्पष्ट कारण तथा निर्देश प्राप्त होने पर तथा वास्तव में उनके द्वारा मनाए जाने पर तथा सिखाए जाने पर शपथ–पत्र का तथाकथित लिखवाया जाना अपनी पूरी कहानी बयाँ करते हैं तथा शपथ–पत्र को महत्वहीन बना देता है।

45. जैसा कि उपर चर्चा की जा चुकी है, यह प्रतीत होता है कि करम मंगलु अ.सा. 5 के शपथ–पत्र का कथन स्वयं उसका नहीं है। शपथ–पत्र के लेख कतिपय अन्य व्यक्तियों के बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए थे तथा साक्षी को घटना के विषय में बोलने हेतु ग्राम मट्टेनार में आयोजित सभा में कुछ ऐसे व्यक्तियों द्वारा बोलने हेतु कहा गया था तथा निर्देशित किया गया था जिन्हें वह ठीक से जानता या पहचानता नहीं है तथा जिनमें सम्भवतः कुछ पत्रकार भी शामिल हैं। अतः शपथ–पत्र न केवल अविश्वसनीय है अपितु कुछ अनजान व्यक्तियों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक काल्पनिक कहानी निर्मित करने की योजना की ओर भी इशारा करता है।

46. शिकायतकर्ताओं की साक्षी करम सोमली पति लच्छु, अ.सा. 6 ने भी एक शपथ–पत्र निष्पादित किया है। वह मृतक करम मासा की माता है जो स्वीकृत तौर पर घटना के दौरान मारा गया था। वह घटना के दौरान मौके पर उपस्थित होने का दावा नहीं करती तथा उसका कथन है कि घटना के समय वह रात्रि–भोजन के पश्चात् सोई हुई थी। उसका कथन है कि गोलियों की आवाज सुनने पर उसके पति तथा पुत्र वन की ओर भागे। वह मंदिर की ओर आगे बढ़ी तथा पाया कि वहाँ बहुत से शव पड़े हुए थे। यद्यपि उसे उसके पुत्र करम मासा का शव नहीं मिला। उसे सूचित किया गया कि करम मासा के शव को पुलिस ले गई थी। उसका आगे कथन है कि उसे उसके पुत्र करम मासा का शव अगले दिन शाम को प्राप्त हुआ। उसका कथन है कि उसके पुत्र करम मासा के सीन पर एक गोली लगने का घाव मौजूद था।

47. विपक्ष– सुरक्षा बलों की ओर से किए गए प्रति–परीक्षण की कण्डिका–1में उसका कथन है कि ग्राम मट्टेनार में एक 'मैडम' ने उसका शपथ–पत्र लेख बद्ध किया था। यद्यपि वह उस 'मैडम' का नाम नहीं जानती। उसने आगे कथन किया है कि वह हिन्दी भाषा नहीं जानती। उसने घटना घटित होने के समय की जानकारी होने से भी इंकार किया। उसका कथन है कि शपथ–पत्र के विषयवस्तु को ग्राम मट्टेनार में लिखा गया था तथा उनसे शपथ–पत्रों पर दन्तेवाड़ा में अंगूठे का निशान लगवाया गया था। अपने प्रति–परीक्षण की कण्डिका– 3 में उसने स्वीकार किया है कि मट्टेनार में एक बैठक हुई थी जिसके बाद दस्तावेज

(शपथ–पत्र) तैयार किया गया था तथा उसने बाद में उक्त दस्तावेज पर अपने अंगूठे का निशान लगाया। उसका कथन है कि कोई 'मैडम' उन्हें किसी वाहन से दन्तेवाड़ा ले गई थी तथा व उसके साथ मट्टेनार से दन्तेवाड़ा तक गई। उसके प्रति–परीक्षण में उसके द्वारा दिए गए उत्तरों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि शपथ–पत्र में उसका संस्करणनहीं है अपितु शपथ–पत्र कतिपय अन्य व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया था जो ऐसा शपथ–पत्र प्राप्त करने में हितबद्ध थे।अतः जिस रीति से इस साक्षी द्वारा शपथ–पत्र निष्पादित करवाया गया उससे साफ पता चलता है कि वह साक्षी करम सोमनी अ.सा. 6 के बताए अनुसार लेखबद्ध नहीं किया गया था तथा निश्चित रूप से उसमें इस साक्षी का संस्करणनहीं है और इस तरह वह महत्वहीन है। यह किसी भी तरह से शिकायतकर्ताओं के संस्करणको बल नहीं प्रदान कर सकता।

48. एक और साक्षी करम सोमली पत्नी पण्डु, अ.सा. 7 है जिसके शपथ–पत्र को शिकायतकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया है। इस पर गौर किया जा सकता है कि उसके शपथ–पत्र का लेख भी कुछ अन्य गवाहों के शपथ–पत्रों के लेखों का दोहराव है जिनके कथनों का पहले उल्लेख किया जा चुका है। करम सोमली पत्नि पण्डु, अ.सा. 7 ने भी अपने कथन की कण्डिका – 4 में स्वीकार किया है कि अपने कथन की कण्डिका – 4 में स्वीकार किया है कि वह मौके पर उपस्थित नहीं थी तथा वह रात्रि–भोजन के पश्चात् सो रही थी। उसका कथन है कि उसने गोलियों की

आवाज सुनी जिस पर वह मंदिर की ओर दौड़ी और पाया कि उसका पुत्र करम सोमलु मृत पडा हुआ था। उसे जाँघ पर एक गोली लगने का घाव था। उसने अपने शपथ–पत्र में आगे कथन किया है कि उसके पेट पर भी चाकू से कारित किए गए चोट जैसे चोट मौजूद थे।

49. उसका विपक्ष–सुरक्षा बलों द्वारा कुछ विस्तार में प्रति–परीक्षण हुआ जिसमें उसने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया कि वह घटना के विषय में निजी तौर पर कुछ नहीं जानती। उसने यह भी स्वीकार किया है कि शपथ–पत्र एक 'मैडम' द्वारा लिखकर तैयार किया गया था। यद्यपि वह उक्त 'मैडम' का नाम नहीं जानती जिससे वह ग्राम मट्टेनार में मिली थी। उसका आगे कथन है कि उसने दस्तावेज (शपथ–पत्र) पर जगदलपुर तथा दन्तेवाड़ा में अंगूठे का निशान लगाया। उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह इस विषय में कुछ नहीं जानती है कि शपथ–पत्र में क्या लिखा हुआ था तथा उसका विषय क्या था। अतः उसका शपथ–पत्र किसी भी रूप से शिकायतकर्ताओं के प्रकरण को बल नहीं प्रदान करता है तथा केवल यह दर्शाता है कि उसका पुत्र करम सोमलु घटना में मारा गया था। यद्यपि उसके कथन से उन परिस्थितियों तथा रीति को सुनिश्चित करने में कोई सहायता नहीं मिलती जिनमें घटना घटित हुई। वस्तुतः उसका कथन इस ओर इशारा करता है कि कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह था जिन्होंने अपनी मंशा को अग्रसित करने हेतु तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सुरक्षा बलों को फँसाने हेतु शपथ–पत्र तैयार करवाए।

50. करम बद्रु ने भी शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत एक शपथ–पत्र को निष्पादित किया है। उसमें उसने स्वीकार किया है कि घटना के समय वह ग्राम एडसमेटा में नहीं था। यद्यपि उसका शपथ–पत्र इस आशय का है कि 17 मई, 2013 कोउसके गाँव में 'बीज पण्डुम' उत्सव मनाए जाने के अवसर पर वह 'खपरा' (छत हेतु खपरैल) खरीदने ग्राम बीजापुर गया हुआ था। उसका आगे कथन है कि चूँकि उसे देर हो गई थी अतः वह रास्ते में ग्राम गंगालुर में अपनी बहन के घर पर रूक गया था। उसका कथन है कि उसने काफी दूर से गोलियों की आवाज सुनी। अगली सुबह जबवह ग्राम एडसमेटा स्थित अपने घर लौट रहा था तब उसे उसके गाँव के कुछ लोग मिले जिन्होंने उसे रात की घटना के विषय में बताया। तत्पश्चात् उसने घटना का वर्णन किया है तथा उसके गाँव वालों द्वारा उसे बताए गए मृतकों के नाम बताए हैं। अपने शपथ–पत्र में वह आगे वर्णन करता है कि अगले दिन वह गंगालुर थाने गया जहाँ पूलिस कर्मियों ने उन लोगों से कुछ दस्तावेजों पर अंगूठे के निशान लगवाए। उसने करम मासा के शव का परीक्षण (पोस्ट मॉर्टम) किए जाने की रीति के विषय में भी कथन किया है। उसका कथन है कि शव परीक्षण किसी चिकित्सक द्वारा नहीं अपितु किसी गैर जानकार व्यक्ति के द्वारा किया गया था। कण्डिका – 4 में उसका कथन है कि उसके पुत्र लाखु ने उसे घटना का वर्णन सुनाया। अपने शपथ–पत्र की कण्डिका – 5 में करम बद्रु अ.सा. 8 आगे कहता है कि अगले दिन पुलिसकर्मी गाँव आए तथा 07 शव ले गए। उसने मृतकों के तथा घायल व्यक्तियों

के चोटो का भी वर्णन किया है। अपने शपथ–पत्र की कण्डिका – 6 मे उसका कथन है कि वर्ष 2016 मे उन्हे भोपाल पट्टनम थाने बुलाया गया था तथा उनसे कुछ दस्तावेजो पर अंगूठे के निशान लगवाए गए थे। यद्यपि उन्हे जानकारी नही थी कि उन दस्तावेजो की प्रकृति तथा विषय क्या थे।

51. अपने प्रति–परीक्षण मे साक्षी करम बद्दु अ.सा. 8 ने यह स्वीकार किया है तथा दोहराया है कि घटना दिनाँक को वह ग्राम एडसमेटा मे नही था बल्कि ग्राम गंगालुर मे ठहरा हुआ था। कण्डिका – 3 में भी उसने यह स्वीकार किया है कि उसे यह ज्ञात नही है कि घटना के बाद कितने वर्ष बीत चुके हैं। प्रति–परीक्षण की कण्डिका – 4 मे उसने स्वीकार किया है उसे उस शपथ–पत्र के लेख के विषय मे कोई जानकारी नहीं है जिस पर एक 'मैडम' ने उससे अंगूठे का निशान लगवाया था। अतः न ही सिर्फ उसका शपथ–पत्र महत्वहीन हो जाता है बल्कि यह भी प्रतीत होता है कि यह शपथ–पत्र एक बनावटी दस्तावेज है जिस पर उसे केवल अंगूठे का निशान लगवाया गया जबकि उस शपथ–पत्र को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किन्ही अन्य हितबद्ध व्यक्तियों के बताए अनुसार लिखा गया था, जिन्हें वह जानता तक नहीं।

52. उपरोक्त चर्चे का परिणाम यह दर्शाता है कि शिकायतकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत साक्षियों द्वारा निष्पादित तथाकथित शपथ–पत्र बहुत ही देर बाद निष्पादित किए गए है तथा स्पष्टतः उन्हें घटना के 04 वर्ष बाद निष्पादित किया जाना प्रकट होता है। साक्षियों ने

कमोवेश यह स्वीकार किया है कि शपथ–पत्रों के अभिकथित निष्पादित से पूर्व उन्होंने कभी किसी प्राधिकारी को घटना के विषय में सूचित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, शपथ–पत्र उस भाषा में लिखे गए हैं जो उन्हें निष्पादित करने वाले व्यक्तियों की भाषा नहीं है। अतः शपथ–पत्र को लिखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से उसे निष्पादित करने वाला व्यक्ति नहीं है। यह प्रतीत होता है कि शपथ–पत्रसाक्षियों से अपरिचित कुछ अनजान व्यक्तियों द्वारा स्वयं के छुपे हुए उद्देश्य की योजनाबद्ध रीति से पूर्ति हेतु सुरक्षा बलों को फँसाने हेतु बनाए गए थे। ऐसा शपथ–पत्र विश्वसनीय नहीं है तथा उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। वे पहले से सोचे–समझे गए उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाए गए प्रतीत होते हैं तथा शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने घटना का केवल सिखाया हुआ, पूर्वनियोजित तथा बदला हुआ संस्करणप्रस्तुत किया है। इस पर गौर किया जा सकता है कि उनमें से लगभग सभी ने अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों को खोया है जो घटना में मारे गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि हितबद्ध व्यक्तियों के एक समूह ने साक्षियों को शपथ–पत्र निष्पादित करवाने तथा पहले से ही लेखबद्ध किए जा चुके लेख पर अंगूठे का निशान लगाने हेतु मनाया, उत्प्रेरित किया तथा दबाव बनाया। अतः शिकायतकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत शपथ–पत्र उनके स्वयं के संस्करणनहीं है तथा उन पर विश्वास उत्पन्न नहीं होती है तथा वे घटना की परिस्थितियों तथा प्रकृति के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने में किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं कर सकते।

53. अब विपक्ष–सुरक्षा बलों द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र तथा दस्तावेजों सहित साक्ष्य एवं सामग्रियों पर विचार किया जाना चाहिए। उपरोक्त परिपेक्ष्य में सर्वप्रथम हरिओम सागर ब.सा. 1 सी.आर.पी. एफ. के 208 कोबरा बटालियन के उप कमाण्डेन्ट तथा संचलन दलों (मार्चिंग पार्टी) के मुखिया के शपथ–पत्र पर चर्चा की जाएगी तथा उस पर विचार किया जाएगा। उसने अपने शपथ–पत्र में कथन किया है किइस आशय की खुफिया जानकारी प्राप्त होने पर कि 'नक्सल कम्पनी क्रमाँक 2' के नाम से जाने वाले संगठन के सदस्य सी.आर.सी., एल.जी.एस. तथा एल. ओ. एस. नाम की अपनी ईकाइयों तथा 'जन सेना (मिलिशिया)' नामक शस्त्र–सुसज्जित बचाव की पहली पंक्ति के साथ ग्राम पीडिया में एकत्रित हुए हैं, राज्य पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समाहित सुरक्षा बलों के एक संयुक्त दल को योजनानुसार 17/05/2013 को ग्राम पीडिया की ओर बढ़ने (संचलन/मार्च करने) हेतु निर्देशित किया गया। सुरक्षा बलों में 06 दल समाहित थे तथा वे गंगालुर, चेरपल तथा अन्य स्थानों सहित विभिन्न बिन्दुओं से ग्राम पीडिया की ओर बढ़े। उसके शपथ–पत्र में उसके द्वारा यह कथन भी किया गया है कि पहले भी पुलिस बल सहित सुरक्षा बलों द्वारा खोजी अभियानों के दौरान उनका नक्सली संगठनों से सामना हुआ था तथा उस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में विस्फोट तथा अन्य नक्सली सामग्री जप्त किए गए थे।

54. अपने शपथ–पत्र में हरिओम सागर ने आगे कथन किया है कि 17/05/2013 को विशेष कार्य (स्पेशल टास्क) हेतु रवाना होने

से पूर्व उनके वरिष्ठ अधिकारियो ने संबंधित दलों को जानकारियाँ तथा निर्देश दिए। अन्य निर्देशों के साथ ही दलों को बताया गया था कि उन्हें अपनी गतिविधि को गुप्त तथा गोपनीय रखने हेतु सतर्कता बरतनी चाहिए। उसका आगे कथन है कि सुरक्षा बलों को 'जी.पी.एस. ट्रैकर', मार्गों का रेखा–चित्र (रूट मैप) तथा भारत के सर्वेक्षण का नक्शा प्रदान किया गया। उसका कथन है कि 17/05/2013 को उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन मे सी.आर.पी. एफ. कोबरा 208 बटालियन के 46 कर्मी, कोबरा 204 बटालियन के 49 कर्मी तथा राज्य पुलिस के 57 कर्मी सहित कुल 152 सुरक्षा कर्मियों का एक दल ग्राम पीडिया की ओर रवाना हुआ।

55.घटना का वर्णन करते हुए, हरिओम सागर, ब.सा. 1 का आगे कथन है कि रात्रि लगभग 10: 30 बजे जब वे एडसमेटा वन पहुँच चुके थे तथा एक चट्टान की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें कुछ दूरी पर आग जलते हुए देखा तथा उक्त आग की रोशनी में उन्होंने लगभग 20–25 व्यक्तियों का जमाव देखा जिनमें से अधिकतर हथियारों से लैश थे। शपथ पत्र की कण्डिका 6 में उसके आगे कथन है कि खतरे की आशंका से सुरक्षा बलों के सभी सदस्य जहाँ थे वहीं जम गए (पोजिशन ली) । उसका आगे कथन है कि उसने 208 कोबरा बटालियन के निरीक्षक बसप्पा उसेन्डी ब.सा. 2 को आगे जाकर नक्सलियों की मौजूदगी के बारे में पूछताछ कर तस्दीक करने हेतु आदेशित किया। उपरोक्त निर्देशों के परिपालन में निरीक्षक बसप्पा उसेन्डी ब.सा. 2 कुछ और सुरक्षा कर्मियो के साथ नक्सलियों की उपस्थिति के तथ्यात्मक स्थिति की तस्दीक

कर उसे सुनिश्चित करने हेतु आगे बढ़ा। हरिओम सागर ब.सा. 1 का आगे कथन है कि इस दौरान शस्त्र–सुसज्जित नक्सली सुरक्षा बलों की ओर बढ़ने लगे तथा सुरक्षा बलो की उपस्थिति का पता लगने पर उन्होंने चिल्लाया कि वहाँ पर पुलिस थी तथा उन पर हमला किया जाए। तत्पश्चात् नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर विभिन्न दिशाओं से अंधाधुन गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। तब अपनी आत्मरक्षा मे सुरक्षा बलो ने नक्सलियो की ओर गोलियाँ चलाना शुरू किया। शपथ–पत्र की कण्डिका – 7 मे हरिओम सागर ब.सा. 1 का आगे कथन है कि एक नक्सली को गोली लगी जबकि अन्य नक्सलियो ने वृक्षों की तथा एकत्रित ग्रामीणों की आड़ ले ली तथा मौके से बच निकले। हरिओम सागर ब.सा. 1 का कथन है कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर लगभग आधे घण्टे तक गोलियाँ चलाई।

56.अपने शपथ–पत्र की कण्डिका – 8 में हरिओम सागर ब.सा. 1 आगे कथन करता है कि गोलीबारी रूकने पर सुरक्षा बलों ने 'पैरा–बम' दागे जिससे क्षेत्र में रोशनी हुई। मौके की तलाशी लेने पर पता चला कि एक नक्सली मारा गया था। उसकी पीठ पर 'पिट्ठू' (बस्ता) बंधा हुआ था तथा पास ही एक भरमार बंदूक पड़ा हुआ था। भरमार बंदूक पर 'वैस्ट डिविजन – 19' लिखा हुआ था। कुछ दूरी पर एक और भरमार बंदूक तथा नक्सलियों के सामान पड़े हुए थे। उपरोक्त मुठभेड़ में 208 कोबरा बटालियन के आरक्षक देव प्रकाश को भी गम्भीर चोटें आई चूँकि उसके सर पर गोली लगी थी। घायल आरक्षक देव प्रकाश के त्वरित चिकित्सकीय उपचार

को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि सुरक्षा बल रात में नक्सलियों से घिरे हुए हो सकते थे, यह निर्णय लिया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा बलों को पीछे हट जाना चाहिए तथा गंगालुर लौटना चाहिए। वे मृत नक्सली का शव तथा मौके पर पड़े हुए दोनों भरमार बंदूकें व नक्सलियों के सामान अपने साथ थाना गंगालुर ले गए। हरिओम सागर ब.सा. 1 के शपथ–पत्र के अनुसार गंगालुर जाते समय आरक्षक देव प्रकाश सिंह ने अपनी आखिरी सांसें ली।

57. हरिओम सागर ब.सा. ने आगे कथन किया है कि गोलीबारी के दौरान नक्सलियों ने मौके पर एकत्रित असैन्यों/ग्रामीणों का आश्रय लिया। गोलीबारी के दौरान वे ग्रामीण जिनका नक्सलियों के द्वारा अपने आवरण की तरह प्रयोग किया गया, उन्हें नक्सलियों द्वारा गोलीबारी की वजह से चोटें आई। परिणाम स्वरूप कुछ ग्रामीण मारे गए जबकि कुछ जख्मी हुए। उसने कथन किया कि मांसूम ग्रामीण तथा उनके बच्चों पर सुरक्षा बलों द्वारा न ही गोलियॉ चलाई गई और न ही उन्हें चोट पहुँचाया गया। हरिओम सागर ब.सा. 1 के शपथ–पत्र के अनुसार उसे सूचना मिली थी कि घटना के दौरान करम बद्रु, करम सोमलु, पुनेम लाखो करम गुड्डु, करम पण्डु, पुनेम जोगा तथा पुनेम सोमू मारे गए थे। मृतकों के शवों का पंचनामा बनाने के बाद शवों का शव परीक्षण (पोस्ट मॉर्टम) करवाया गया तथा घायल व्यक्तियों को अग्रिम और बेहतर उपचार हेतु जगदलपुर तथा रायपुर भेजा गया।

58.इस प्रकार हरिओम सागर ब.सा. 1 के शपथ–पत्र के उपरोक्त कथनानुसार घटना के समय नक्सलियों ने गोली चलाना प्रारंभ किया और तत्पश्चात् सुरक्षा बलों ने आत्मरक्षा में गोलियाँ चलाई। प्रति परीक्षण में हरिओम सागर ने स्वीकार किया कि उस दिन सुरक्षा बलों द्वारा उपयोग किया गया मार्ग (रूट) पर वह पहले कभी नहीं गया था। उसने स्वीकार किया है कि संचलन दल (मार्चिंग पार्टी) के मार्ग (रूट) इस प्रकार नक्शा बनाया गया था कि बीच में कोई भी गांव न पड़े। अपने प्रति परीक्षण की कण्डिका – 07 में वह कहता है कि केवल उनके दल (पार्टी) ने गंगालुर से संचलन (मार्चिंग) प्रारंभ किया था जबकि अन्य दलों उन्हें बताये गए अन्य बिन्दुओं से संचलन प्रारंभ किया था। उसका कथन है कि सी.आर.पी.एफ. कोबरा 208 बटालियन का दल सामने था जिसके बाद कोबरा 204 बटालियन का दल था और अंत में पुलिस बल का दल था तथा वे एक ही पक्ति (सिंगल फाईल) में संचलन (मार्च)कर रहे थे। उसने अपने प्रति परीक्षण में की कण्डिका – 8 में आगे कथन किया है कि उनके संचलन (मार्च) के समय चारों ओर अंधेरा था तथा वह केवल अपने सामने चल रहे आरक्षक को ही देख पा रहा था संचलन दल के किसी अन्य को नहीं कण्डिका – 8 में उसका आगे कथन है कि 02 स्काउट उनके आगे चल रहे थे तथा उन दोनों के पीछे एक मार्ग निर्देशक (नेवीगेटर) चल रहा था जिसके पीछे इस साक्षी का दल संचलन कर रहा था। अपने प्रति परीक्षण की कण्डिका – 9 में उसने आगे कथन किया है कि जैसे ही उन्होंने आग को देखा,उन्होंने 'कवर' ले लिया। उसने कथन किया है कि सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर वे

जहां थे उसी स्थान पर नीचे लेटकर 'पोजिशन' लिया। उसका कथन है कि चूँकि वहां अंधेरा था इसलिए वह यह नहीं बता सकता कि अन्य सुरक्षा कर्मियों ने कहां 'कवर' लिया था। अपने प्रति परीक्षण की कण्डिका – 11 में वह आगे कथन करता है कि वह आग जिसके इर्द–गिर्द उनके द्वारा 20–25 व्यक्तियों को देखा गया, उसकी रोशनी के अलावा वहां रोशनी का कोई और स्त्रोत नहीं था। उसका कथन है कि उसने शस्त्र–सुसज्जित व्यक्तियों को आग के इर्द–गिर्द बैठे देखा था। अपने प्रति परीक्षण की कण्डिका – 13 में हरिओम सागर ब.सा. 1 कहता है कि पहली गोली नक्सलियों द्वारा चलाई गई तथा उसके बाद विभिन्न दिशाओं से गोलियाँ चलने लगी। उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने स्वयं एक भी गोली नहीं चलाई। उपरोक्त संदर्भ में उसने यह कहकर स्पष्टीकरण दिया है कि चूँकि वह सैनिकों (ट्रूप) का कमाण्डर था इसलिए उसने स्वयं गोली नहीं चलाई क्योंकि वैसा करने पर वह अपने सैनिकों (ट्रूप) को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं रहता।

59. हरिओम सागर ब.सा. 1 ने आगे कथन किया है कि गोलीबारी बंद होने पर 'पैरा–बम' चलाए गए। अपने प्रति परीक्षण की कण्डिका – 15 में उसने स्पष्ट किया है कि गोलीबारी के दौरान उसने पैरा बम इसलिए नहीं चलाए क्योंकि ऐसा करने पर सुरक्षा बलों की स्थिति (लोकेशन) का पता चल जाता जिससे उनके लिए खतरा बढ़ जाता।

60.हरिओम सागर ब.सा. 1 के उपरोक्त कथन तथा स्पष्टीकरण को (शिकायतकर्ताओं की ओर से) विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है। यह निवेदन किया गया कि हरिओम सागर ब.सा. 1 का उपरोक्त कथन सच्चाई से बिल्कुल परे है यह निवेदन किया गया कि यदि गोलीबारी आग के पास एकत्रित हुए तथाकथित नक्सलियों द्वारा शुरू की गई होती तो दल का मुखियाहोने के कारण हरिओम सागर ब.सा. 1 ने आत्मरक्षा में गोली जरूर चलाई होती जो कि अपने तथा अपने दल के जीवन को संकट में देखने वाले किसी भी व्यक्ति की स्वभाविक प्रकृति होती है। यद्यपि हरिओम सागर ब.सा. 1 ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने एक भी गोली नहीं चलाई जो कि एक ऐसा आचरण है जो उसके इस कथन को स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय बना देता है कि कथित नक्सलियों ने गोली बारी शुरू की थी।शिकायतकर्ताओं की ओर से आगे निवेदन किया गया कि यदि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर सभी दिशाओं से गोलियॉ चलानी शुरू कर दी थी तो सुरक्षा बलों के अनेक सदस्य या तो मारे गए होते या जख्मी हुए होते। यद्यपि स्वीकृत तौर पर सुरक्षा बलों से केवल एक आरक्षक देव प्रकाश को चोट लगी जबकि आठ ग्रामीण मारे गए तथा पांच ग्रामीण घायल हुए। यह निवेदन किया गया कि उपरोक्त परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि सुरक्षा बल आक्रमणकर्ता थे तथा उन्होंने अपने अधिकारी का उल्लंघन किया जिससे इतने सारे बेकसूर ग्रामीण मारे गए तथा घायल हुए।

61. शिकायतकर्ताओं की ओर से आगे यह कथन किया गया कि यह साबित करने हेतु कोई सामग्री नहीं है भरमार बंदूक जो कथित तौर पर मौके पर पड़ा हुआ था वह नक्सलियों का था। यह निवेदन किया गया कि वास्तव में अभिलेख पर मौजूद बंदूक तथा अन्य सामाग्रियों के जप्ती पत्रक में उन भरमार बंदूकों तथा कथित तौर पर मौके से बरामद जप्त सामाग्रियों की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन नहीं है अतः कथित तौर पर मौके से की गई जप्तियों को किसी भी परिस्थिति में नक्सलियों से नहीं जोड़ा जा सकता। उपरोक्त परिपेक्ष में आगे यह निवेदन किया गया कि यह संतोषजनक रूप से यह नहीं दर्शाया गया है कि कथित तौर पर जप्त भरमार बंदूकें अथवा अन्य कोई सामग्री ऐसे किसी व्यक्ति का था जो आग के पास एकत्रित हुआ था। उपरोक्त के संदर्भ में शिकायतकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) तथा विपक्ष – सुरक्षा बलों की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्रों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास है जो उनके कथनों को अविश्वसनीय बना देता है। इस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया जाए कि हालांकि विपक्ष – सुरक्षा बलों की ओर से इस बात पर जोर देते हुए कथन किया गया है कि गोलीबारी जमाव की ओर सुरक्षा बलों से 30–40 मीटर की दूरी से प्रारंभ हुई तथा तत्पश्चात् सुरक्षा बलों ने केवल आत्मरक्षा में गोलियॉ चलाई यद्यपि गोली से जख्मी होने से पूर्व आरक्षक देव प्रकाश स्वीकृत तौर पर 18 गोलियॉ चला चुका था। यह निवेदन किया गया कि यह स्पष्ट रूप से इस ओर इशारा करता है कि हरिओम सागर ब.सा. 1 तथा बसप्पा उसेण्डी ब.सा. 2

सहित अन्य के शपथ–पत्रों के वृत्तांत स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय प्रमाणित होते है। शिकायतकर्ताओं की ओर से यह निवेदन किया गया कि दल (पार्टी) के मुखियाहरिओम सागर ब.सा. 1 का उसके शपथ–पत्र का कथन जिसका उल्लेख किया जाकर जिस पर चर्चा की जा चुकी है, वह विश्वसनीय नहीं है। यह निवेदन भी किया गया कि आरक्षक देव प्रकाश को सुरक्षा बलों द्वारा ही 'क्रॉस फायरिंग' मे चोट लगी तथा उसे उस सभा के किसी सदस्य द्वारा गोली चलाए जाने पर चोट नहीं लगी जो 'बीज पण्डुम' त्यौहार मना रहे थे तथा निहत्थे थे।

62.उपरोक्त निवेदन को दृष्टिगत रखते हुए अब विपक्ष–सुरक्षाबलों के शपथ–पत्रों के कथनों तथा अभिलेख पर मौजूद अन्य सामाग्रियों पर विचार किया जाएगा।विपक्ष – सुरक्षा बलों की ओर से प्रस्तुत अपने शपथ पत्र में बसप्पा उसेण्डी ब.सा. 2 ने निवेदन किया है कि वह सी.आर.पी.एफ. में निरीक्षक है तथा वर्तमान में कर्नाटक राज्य में श्वान प्रजनन परीक्षण केन्द्र, तरालु में पदस्थ है। उसका कथन है कि घटना दिनांक को वह सुरक्षा बलों के संचलन दल का सदस्य था जिसने गंगालुर से संचलन (प्रारंभ) किया था। उसका कथन है कि 10: 30 बजे जब सुरक्षा बलों का दल एडसमेटा के समीप था तब उसने कुछ दूरी पर आग जलते हुए देखा। आग के समीप 20–50 व्यक्ति एकत्रित हुए थे जिनमें से कुछ के पास हथियार थे। उसका आगे कथन है कि उप कमांडर हरिओम सागर ब.सा. 1 के निर्देश पर वह नक्सलियों की मौजूदगी की संभावना की पड़ताल करने आगे बढ़ा। उपरोक्त निर्देशानुसार

उसके कुछ दूर आगे जाने पर नक्सली पुलिस बल की उपस्थिति के विषय में चिल्लाने लगे और तत्पश्चात् जमाव की तरफ से गोली बारी शुरू हो गई।उसका कथन है कि नक्सलियों द्वारा सभी दिशाओं से अंधाधुन गोलियॉ चलाई गई। नक्सली उस चट्टान पर जमा हुए थे जहां आग जल रही थी। उसका यह भी कथन है कि उक्त गोली–बारी के दौरान आरक्षक देव प्रकाश को गोली से चोट लगी जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आत्मरक्षा में नक्सलियों पर गोलियॉ चलानी शुरू कर दी। अपने प्रति परीक्षण में बसप्पा उसेण्डी ब.सा. 2 ने कथन किया है कि वह यह नहीं जानता कि पहली गोली किस दिशा से चलाई गई थी। कण्डिका – 10 में उसने यह भी स्वीकार किया कि उसे जानकारी नही है तथा वह नही कह सकता कि गोलियॉ किस दिशा से चलाई जा रही थी। हालांकि बसप्पा उसेण्डी ब.सा. 2 का कथन है कि उसने गोलीबारी **की रोशनी देखी लेकिन** उसने खुद गोली नहीं चलाई उसने यह **स्पष्ट करने का प्रयत्न किया** कि अंधेरा होने की वजह से निशाना **साफ दिखाई नहीं दे रहा था** इसलिए उसने गोली नहीं चलाई। **बसप्पा उसेण्डी ब.सा. 2 के शपथ**–पत्र के कथन तथा उसके **पुलिस कथन में बहुत सारी** अनियमितताएं, लोप तथा विरोधाभास **हैं जिससे उसके शपथ**–पत्र का कथन संदेहास्पद है तथा **अविश्वसनीय हो जाता है।**

63.हांलाकि **बसप्पा उसेण्डी ब.सा. 2** ने यह कहने का भी प्रयत्न किया है कि **नक्सली** असैन्य ग्रामीणों का आड़ लेकर भाग निकले थे । **यद्यपि शपथ–पत्र का यह कथन उसके पुलिस** डायरी कथन (प्र.

डी–9) में नहीं बताया गया था और उससे समर्थित भी नहीं होता है, जिससे प्रति परीक्षण के दौरान साक्षी का सामना कराया गया जो उसके प्रति परीक्षण की कण्डिका – 11 से स्पष्ट है।

64. जैसा कि पहले चर्चा किया जा चुका है, बसप्पा उसेण्डी ब.सा. 2 का आचरण तथा स्पष्टीकरण अस्वभाविक है। यदि गोलियॉ सभी दिशाओं से चल रही होती जैसा कि बसप्पा उसेण्डी ब.सा. 2 का कथन है तो उसने तथा सुरक्षा बलों के सदस्यों ने आत्मरक्षा में गोलियॉ जरूर चलायी होती जो कि प्राण को खतरा होने पर किसी व्यक्ति की स्वभाविक प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि बसप्पा उसेण्डी तथा सुरक्षा बलों के अन्य सदस्यों ने अभियान (ऑपरेशन) के समय स्वीकृत तौर पर हथियारों से पूरी तरह से लैश होने के बावजूद गोलियॉ नहीं चलाई जबकि वे अपने जीवन को संकट का सामना कर रहे थे। यह स्पष्ट रूप से उनके कथनों को अविश्वसनीय बना देता है। उस पर भी गौर किया जा सकता है कि हालाँकि हरिओम सागर ब.सा. 1, बसप्पा उसेण्डी ब.सा. 2 तथा सुरक्षा बलों की ओर से परीक्षित अन्य साक्षियों ने कथन किया है कि नक्सलियों ने उन पर लगभग आधे घण्टे तक गोलियाँ चलाई तथा वे आक्रमणकर्ता नहीं थे यद्यपि केवल आरक्षक देव प्रकाश को ही इस गोलीबारी में गोली लगी जबकि जमाव के कुल 13 व्यक्ति घायल हुए थे जिनमें से 08 को प्राणघातक चोटें लगी थीं। उपरोक्त परिस्थितियाँ अपनी कहानी स्वयं सुनाती हैं तथा यह दर्शाती हैं कि गोलीबारी का आक्रमण सुरक्षा बलों की ओर से हुआ था आग के पास एकत्रित व्यक्तियों की ओर से नहीं।

65. अब सखाराम मंडावी ब.सा. 3 के कथन पर विचार करते हुए इस बात पर गौर किया जा सकता है कि उसके शपथ–पत्र के अनुसार वह 57 पुलिस कर्मियो के पुलिस दल की अगुवाई कर रहा था जो 17/05/2013 के अभियान मे पीडिया हेतु रवाना होने वाले दल का एक हिस्सा था। मुख्य रूप से उसने घटना का वैसा ही संस्करण प्रस्तुत किया है जैसा कि उपर दिया गया है तथा घटना का उसका संस्करण मुख्य रूप से हरिओम सागर ब. सा.–1 द्वारा प्रस्तुत संस्करण जैसा ही है। 17/05/2013 की घटना के समय सखाराम मंडावी ब.सा. 3 थाना गंगालुर मे उप–निरीक्षक था। शपथ–पत्र में उसके कथनानुसार गोलीबारी जमाव के हथियारबंद सदस्यों द्वारा प्रारम्भ की गई जो सुरक्षा बलो की ओर बढ़ रहे थे। उसका कथन है कि पहले गोलीबारी बाँई ओर से शुरू हुई जिसके बाद सभी दिशाओं से गोलीबारी होने लगी। उसका यह भी कथन है कि तत्पश्चात् सुरक्षा बलों ने आत्मरक्षा में गोलियॉ चलाई। उसका कथन है कि मृत्यु की संख्या कम करने हेतु उसने गोली नहीं चलाई।

66. जैसा कि हरिओम सागर ब.सा. 1 तथा बसप्पा उसेण्डी ब.सा. 2 के कथनों के संबंध में पहले विचार किया जा चुका है, यह बिलकुल अस्वभाविक है कि कोई व्यक्ति ऐसे समय में गोली न चलाए जब खुद उसकी जान खतरे में हो और वह शस्त्र–सुसज्जित हो। यह कहने की आवश्यकता नही है कि आत्मरक्षा तथा आत्मसंरक्षा की मानव की मूल प्रवृत्ति उसके द्वारा जवाबी गोलीबारी करवाती।

यद्यपि सखाराम मण्डावी ब.सा. 3 राज्य पुलिस के 57 पुलिस कर्मियों के दल की अगुवाई करने वाले वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी का कथन इस आशय का है कि उसने मृत्यु की संख्या कर हो इसलिए गोली नहीं चलाई जबकि कथित शस्त्र सुसज्जित हमलावरों द्वारा सभी दिशाओं से अंधाधुन गोलीबारी की जा रही थी तथा स्वयं उसका जीवन संकट में था। यह पूरी तरह अस्वभाविक आचरण है तथा किसी दशा में भी इसे सत्य संस्करण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तदानुसार सखाराम मण्डावी ब. सा. 3 का कथन पूरी तरह अविश्वसनीय प्रतीत होता है।

67. इस पर भी गौर किया जाना है ि कइस साक्षी का पुलिस को दिया गया कथन प्रदर्श डी. 10 के रूप में अभिलिखित किया गया है। यद्यपि यह उल्लिखित किए जाने योग्य है कि जैसा कि शिकायतकर्ताओं की ओर से निवेदन हकया गया है, इस जाँच में इस साक्षी के पुलिस कथन प्रदर्श डी.10 को केवल अंशतः प्रस्तुत किया गया है तथा उसके पुलिस कथन (प्रदर्श डी. 10) का द्वितीय पृष्ठ विपक्ष को अवसर दिए जाने उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप विपरीत अनुमान उत्पन्न होता है कि यदि वह पृष्ठ तथा पूर्ण लुख प्रस्तुत किए गए होते तो इस साक्षी की विश्वसनीयता पर विपरीत प्रभाव पड़ता। इसके अतिरिक्त, अपने प्रति–परीक्षण में सखाराम मण्डावी ब.सा. 3 स्वीकार करता है कि वह 17/05/2013 कोसंचलन द्वारा प्रयुक्त मार्ग (रूट) से परिचित नहीं था। उसके प्रति परीक्षण की कण्डिका 16 में उसका यह भी कहना है कि उसे 'नाइट विजन', 'हेलमेट', 'लाइफ जैकेट',

'वायरलेस सैटेलाइट फोन' जैसे सुरक्षा उपकरण (गैजेट्स) प्रदान नहीं किए गए थे। हालाँकि सखाराम मण्डावी ब.सा. 3 दावा करता है कि आग के पास एकत्रित हुए व्यक्तियों के हाथों में उसने बंदूकें देखी थी यद्यपि सखाराम मण्डावी ब.सा. 3 का यह कथन अस्वभाविक प्रतीत होता है क्योंकि आग कथित तौर पर 30–40 मीटर की दूरी पर थी तथा वहाँ रोशनी का कोई और स्त्रोत नहीं था। इसके अतिरिक्त इस साक्षी द्वारा विवेचना के दौरान तैयार किए गए दस्तावेजों में अनेक लोप तथा अनियमितताएँ हैं जैसा कि उसके प्रति–परीक्षण की कण्डिका–28 में उल्लिखित है। इससे यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि विवेचना सम्यक तथा उचित रीति से नहीं की गई थी। इस प्रकार सखाराम मण्डावी ब.सा. 3 का सम्पूर्ण कथन तथा आचरण अस्वभाविक प्रतीत होता है तथा उससे वास्तविक घटना वर्णित नहीं होना प्रतीत होता है अतः वह पूरी तरह अविश्वसनीय है। उसका आचरण विश्वास किए जाने योग्य नहीं है तथा उसके कथन का अवलंबन नहीं लिया जा सकता।

68.विपक्ष–सुरक्षा बलों की ओर से परीक्षित एक अन्य साक्षी पुरन किशोर साहू ब.सा. 4 है। वह घटना के समय पुलिस निरीक्षक था तथा थाना गंगालुर में पदस्थ था। अपने शपथ–पत्र में उसने संचलन दल की संरचना के संबंध में कथन किया है। कण्डिका–8 में उसने आगे कथन किया है कि 18/05/2013 को उसे उप–निरीक्षक सखाराम मण्डावी ब.सा. 3 द्वारा घटना का वृतान्त सुनाया गया जब संचलन दल (मार्चिंग पार्टी) घटना के पश्चात् ग्राम एडसमेटा सेलौट चुका था। उसका कथन है कि आरक्षक देव

प्रकाश घटना में घायल हो गया था तथा गंगालुर लौटते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। उसके आगे घटना के बाद की गई कार्यवाहियों के विषय में कथन किया है। उसका कथन जप्तियों तथा जप्त सामग्रियों को विधि वैज्ञानिक (फॉरेनसिक) जाँच हेतु भेजने से भी संबधित है। यह भी प्रतीत होता है कि घटना के संबध में उसके द्वारा भी कुछ विवेचना की गई थी।

69.पुरन किशोर साहू ब.सा. 4 का प्रति–परीक्षण यह दर्शाता है कि जप्त सामग्रियों का जप्ती पत्रक में ठीक से वर्णन नहीं किया गया था। उन्हें सीलबंद भी नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, कथित रूप से जप्त सामग्री यह भी स्थापित नहीं करते कि वे नक्सली संगठन से संबंधित थे। उदाहरणार्थ, हालाँकि साक्षी कहता है कि नक्सली साहित्य भी जप्त की गई थी यद्यपिइ स साक्षी अथवा विपक्ष–सुरक्षा बलों की ओर से यह पुष्ट तथा प्रमाणित नहीं किया गया कि जप्त सामग्री तथा साहित्य के अन्तः वस्तु/लेख नक्सली गतिविधियों से किस प्रकार संबंधित थे। अतः यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि विवेचना लापरवाहीपूर्वक की गई थी तथा उसमें बहुत सी विसंगतियाँ तथा खामियाँ हैं। ऐसी विवेचना स्पष्ट रूप से विपक्ष–सुरक्षा बलों के पक्ष को किसी भी रूप से पुष्ट नहीं करती है तथा उसका समर्थन नहीं करती है।

70.इस पर भी गौर किया जा सकता है हालाँकि पूरन किशोर साहू ब. सा. 4 स्वीकार करता है कि अग्नि–अस्त्रों (बंदूकों) को आवश्यक जाँच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना चाहिए था यद्यपि

वह स्वीकार करता है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि कथित तौर पर जप्त बंदूकें विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई थीं या नहीं। इसके विपरीत, अपने प्रति–परीक्षण की कण्डिका – 8 में उसने कथन किया है कि उसने 02 भरमार बंदूकों को ज्ञापन डी. 17, द्वारा परीक्षण हेतु शस्त्रागार भेजा था। यद्यपि इस संबंध में गौर किया जा सकता है कि इस जाँच में शस्त्रागार से प्राप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूरन किशोर साहू ब.सा. 4 के प्रति–परीक्षण की कण्डिका – 7 से यह भी स्पष्ट है कि उस विवेचना के दौरान स्वतन्त्र साक्षियों को आहूत नहीं किया गया था, जिस विवेचना को पूरन किशोर साहू ब.सा. 4 मौके पर करने का दावा करता है। उदाहरणार्थ, पंचनामा डी. 19 में पंचनामा तैयार किए जाने का स्थान पुनेम लच्छु का खेत उल्लिखित है परन्तु अपने प्रति–परीक्षण में पुरन किशोर साहू ब.सा. 4 ने स्वीकार किया है कि उसे नहीं पता कि वह खेत कहाँ है। कुछ दस्तावेजों में कुछ काट–छांट भी दिखाई देती है। परन्तु उसने इस प्रकार काट–छांट किए जाने से इनकार किया है। स्पष्टतः पुरन किशोर साहू ब.सा. 4 द्वारा कण्डिका – **2** में उसके ही द्वारा की गई स्वीकृति से उसके द्वारा अंशतः की गई विवेचना 15–20 मिनट के अल्प समय में बेमन से की गई प्रतीत होती है। इस प्रकार की लापरवाही तथा खामियों से भरी हुई विवेचना विपक्ष– सुरक्षा बलों के पक्ष को कोई समर्थन प्रदान नहीं कर सकती बल्कि उस पर गम्भीर संदेह उत्पन्न करती है। अतः पूरन किशोर साहू ब.सा. 4 की आंशिक विवेचना अथवा उसके कथन विपक्ष– सुरक्षा बल के पक्ष को बल प्रदान करने में कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं।

71.उपरोक्त विचार–विमर्श तथा अभिलेख पर मौजूद सामग्री की संवीक्षा इस ओर इशारा करते हैं कि विपक्ष– सुरक्षा बलों द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र वस्तुतः एक ही (समान) शब्दों में दोहराए गए हैं तथा खुद पर भरोसा नहीं दिलाते। यह संस्करण उन्हें निष्पादित करने वाले साक्षियों के सत्य संस्करण नही प्रतीत होते हैं। अतः विपक्ष– सुरक्षा बलों द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री तथा ऐसे शपथ–पत्र विश्वसनीय नहीं है तथा उनका अवलंबन नहीं लिया जा सकता।

72. विपक्ष की ओर से, राज्य शासन ने भी डी.सी. बन्जारे, ब.सा. 5 'उप अनुविभागीय दण्डाधिकारी', बीजापुर का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। उनके शपथ–पत्र में घटना में मृत तथा आहत व्यक्तियो का विवरण है। इसमें आगे यह कथन है कि राज्य शासन के आदेशानुसार मृतकों के परिवारों को अनुकम्पा राशि के तौर पर पाँच–पाँच लाख रूपये दिए जाने थे। इसी तरह, राज्य शासन द्वारा घटना में आहत व्यक्तियों हेतु अनुकम्पा राशि के तौर पर एक लाख रूपए प्रति व्यक्ति स्वीकृत की गई थी। अपने प्रति–परीक्षण में उसने विस्तार में कथन कर स्पष्ट किया है कि उपरोक्त स्वीकृत राशि में स पाँच मृतकों के परिजनों ने अनुकम्पा राशि स्वीकार कर ली थी जबकि अन्य तीन मृतकों के परिजनों ने उक्त राशि स्वीकार नहीं की थी। यद्यपि आहत हुए चार व्यक्तियों ने राज्य शासन द्वारा प्रदत्त एक लाख रूपए प्रति व्यक्ति की अनुकम्पा राशि स्वीकार कर ली थी। डी.सी. बंजारे, ब.सा. 5 के उपरोक्त

कथन के निहितार्थ पर इस प्रतिवेदन में बाद में विस्तार से विचार–विमर्श किया जाएगा।

73. शपथ–पत्रों के माध्यम से दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य जिन पर पहले विचार–विमर्श किया जा चुका है के संक्षिप्त अवलोकन से स्पष्टतः यह प्रतीत होता है कि दोनों ही पक्षों द्वारा परीक्षित साक्षियों के कथन सत्य व विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। उपरोक्त परिपेक्ष्य में यह उल्लेख किया जा सकता है कि शिकायतकर्ताओं ने न केवल काफी देर से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया बल्कि उनके शपथ–पत्र भी ऐसी परिस्थितियों में अनजान व्यक्तियों के बताए अनुसार तैयार किए गए थे जो उनकी सत्यता पर तथा उन्हें निष्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा लिखवाए जाने के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं। यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत अधिकांश साक्षियों ने अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर शपथ–पत्रों में कथन किया है। उनमें से अधिकतर मौके पर उपस्थित होने तथा घटना को देखने का दावा नहीं करते। मौके पर उपस्थित होते हुए घटना को देखने का दावा करने वाले केवल तीन साक्षी, जैसा कि पहले भी विचार–विमर्श किया जा चुका है, भी सिखाए–पढ़ाए तथा रटाए गए साक्षी प्रतीत होते हैं। यह प्रतीत होता है कि उन्होंने पहले से तैयार दस्तावेजों (शपथ–पत्रों) पर केवल अपने अंगूठे का निशान लगाया है, जैसा कि पहले गौर किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि विपक्ष– सुरक्षा बलों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है, शिकायतकर्ताओं की ओर से परीक्षित किसी

भी साक्षी ने अपनी पहचान प्रमाणित तथा सुस्थापित करने हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। विपक्ष– सुरक्षा बलों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इन परिस्थितियों में उनकी पहचान ही संदेहास्पद है। यह निवेदन किया गया कि ऐसे शपथ–पत्र तथा उनमें किए गए कथन को सत्य एवं विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। देर तथा सिखाया–पढ़ाया जाना ऐसे मुख्य कारक है जिन्हें निश्चित तौर पर अनदेखा नहीं किया जा सकता तथा उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाना होगा।

74. तदानुसार, शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत संस्करण खुद पर विश्वास नहीं दिलाता तथा उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर विपक्ष– सुरक्षा बलों का संस्करण भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं प्रतीत होता है। हालाँकि विपक्ष– सुरक्षा बलों की ओर से अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत करने वाले साक्षियों का कथन है कि वे हमलावर नहीं थे तथा वास्तव में एडसमेटा वन में, आग के इर्द–गिर्द एकत्रित जमाव के सदस्यों द्वारा उन पर हमला किया गया था यद्यपि इस पर गौर किया जा सकता है कि यदि आग के इर्द–गिर्द एकत्रित जमाव के सदस्यों द्वारा सभी दिशाओं से अंधाधुन गोलीबारी की गई होती तो इसके परिणामस्वरूप सुरक्षा बलों में मृतकों तथा आहतों की संख्या बहुत अधिक होती। यद्यपिइ स पर गौर किया जा सकता है कि केवल सी.आर.पी.एफ. के आरक्षक देव प्रकाश को ही गोली लगी जिससे उसकी मौत हो गई। घटना में सुरक्षा बलों का कोई भी अन्य सदस्य मृत या आहत नहीं हुआ जबकि इसके विपरीत जमाव के सदस्यों में से

कुल 12 व्यक्ति आहत हुए थे जिनमे से 08 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस पर भी गौर किया जाना है कि सभी मृतकों को गोलियों से चोटें आई थी जो स्पष्टतः सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी का ही परिणाम हो सकता है। अतः दोनों पक्षों को हुए सुसंगत नुकसान की तुलना स्पष्टतः इस ओर इशारा करती है कि सुरक्षा बलो ने जमाव के सदस्य जिनका प्रतिनिधित्व शिकायतकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, की तुलना में अधिक बल प्रयोग किया। अतः विपक्ष– सुरक्षा बलों के इस मौखिक संस्करण को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

75.उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, किसी भी पक्ष का मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इनमें से अधिकांश तथ्य असत्य एवं विसंगतियाँ मिश्रित बेबुनियाद बातें प्रतीत होते हैं जिसमें सत्य के कतिपय अंश मौजूद हो सकते है परन्तु संभवतः उन्हे पृथक नहीं किया जा सकता। अतः दोनों ही पक्षों के मौखिक साक्ष्य नकारे जाने योग्य हैं।

76.इस प्रकार, मौखिक साक्ष्य अत्यधिक संदेहास्पद तथा अविश्वसनीय होने के कारण किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का एकमात्र विकल्प साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित उस सुनहरे कहावत को याद करना होगा कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है किन्तु परिस्थितियाँ झूठ नहीं बोल सकती है। तदानुसार उपरोक्त उद्देश्य हेतु अभिलेख पर मौजूद सामग्री से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों पर विचार

करना आवश्यक होगा। तदानुसार परिस्थितियों तथा पक्षों द्वारा दस्तावेजो सहित सामग्री पर अब विचार किया जाएगा।

77. यह सक्षेप में दोहराया जा सकता है कि इस पर कोई विवाद नही है कि पीडिया में नक्सली संगठनों के सदस्यों के एकत्रित होने की खुफिया सूचना प्राप्त होने पर सुरक्षा बलों के कुल छः दल विभिन्न बिन्दुओं से ग्राम पीडिया की ओर बढ़े। एक दल जिसके साथ वर्तमान जाँच के अधीन घटना घटित हुई, 17/05/2013 की रात थाना गंगालुर से रवाना हुआ। शेष पाँच दल अन्य विभिन्न बिन्दुओं से ग्राम पीडिया की ओर रवाना हुए। यह भी विवादित नहीं है कि इस जाँच के अधीन मुठभेड़ ग्राम एडसमेटा के पास हुई तथा दोनों पक्षों मे मौते हुई जैसा कि पहले विस्तार में बताया जा चुका है। जैसा कि देखा गया है दोनों ही पक्षों ने सामने वाले पक्ष के हमलावर होने का अभिकथन करते हुए उसे गोलीबारी प्रारम्भ करने हेतु जिम्मेदार ठहराया है।

78. उपरोक्त परिपेक्ष्य में इस बात पर गौर किया जा सकता है कि विपक्ष– सुरक्षा बलों के पक्ष से केवल आरक्षक देव प्रकाश को ही चोट लगी थी जबकि दूसरे पक्ष (जिनका प्रतिनिधित्व शिकायतकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है) से कुल आठ लोग मारे गए थे तथा चार आहत हुए थे। यदि शिकायतकर्ताओं के पक्ष, आग के पास एकत्रित व्यक्तियों ने अंधाधुन गोलीबारी प्रारम्भ की होती तो सुरक्षा बल जो स्वीकृत तौर पर एक ही पक्ति में चल रहे थे, उनमें अधिक कर्मी मारे गए होते या आहत हुए होते। यद्यपि

जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है सुरक्षा बलों के केवल एक सदस्य, आरक्षक देव प्रकाश को एक ही गोली लगने की चोट आई। परिस्थितियाँ अपने आप में ही विपक्ष– सुरक्षा बलों की ओर से किए गए इस अभिकथन को नकारने हेतु पर्याप्त है कि सभी दिशाओं से अंधाधुन गोली बारी जमाव के सदस्य द्वारा की गई थी जिनका प्रतिनिधित्व शिकायतकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है।

79. आगे उपरोक्त परिपेक्ष्य में इस बात पर गौर किया जा सकता है कि विपक्ष– सुरक्षा बलों के संस्करण में भी आरक्षक देव प्रकाश के माथे में आई चोट गोली द्वारा कारित हुई थी। इस परिपेक्ष्य में यह गौर किए जाने योग्य है कि यदि विपक्ष– सुरक्षा बलों के इस संस्करण को मान भी लिया जाए कि शिकायतकर्ताओं का पक्ष भरमार बंदूकों से लैश था तब भी कथित भरमार बंदूके आरक्षक देव प्रकाश के माथे पर गोली का चोट (बुलेट इंजरी) कारित नहीं कर सकते चूँकि यह स्पष्ट है कि यदि भरमार बंदूक को चलाया भी गया होता तो उससे छर्रो वाली चोट कारित होती। यद्यपि अविवादित रूप से सुरक्षा बलों के किसी सदस्य को छर्रे से कोई चोट नहीं आई। इस प्रकार, हालाँकि यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि जमाव के सदस्य भरमार बंदूकों से लैश थे जैसा कि विपक्ष– सुरक्षा बलों की ओर से अभिकथन किया गया है तब भी यदि यह मान लिया जाए कि जमाव के कुछ सदस्यों के पास भरमार बंदूकें थी जैसा कि विपक्ष– सुरक्षा बलों का अभिकथन है, तो भी यह प्रकट नहीं होता है कि सुरक्षा बलों के किसी सदस्य को ऐसे

किसी बंदूक से कोई चोट कारित की गई। यह परिस्थिति स्पष्ट तौर पर विपक्ष– सुरक्षा बलों की ओर से परीक्षित साक्षियो के उन दावों तथा कथनों को झूठा साबित कर देती है कि जमाव के सदस्य उनकी ओर यह चिल्लाते हुए बढ़े कि पुलिस कर्मी पहुँच चुके थे तथा सुरक्षा बलों पर सभी दिशाओं से अंधाधुन गोलीबारी शुरू कर दी। अतः घटना मे आहत हुए/मारे गए व्यक्तियों को आई चोटों की संख्या तथा प्रकृति स्पष्टतः इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि विपक्ष– सुरक्षा बलों का उपरोक्त संस्करण सत्य नहीं है।

80. जहाँ तक जमाव के सदस्यों, जिनका प्रतिनिधित्व शिकायतकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, का संबंध है, उनके पक्ष के अनेक सदस्य आहत हुए थे। यह विपक्ष– सुरक्षा बलो का संस्करण है कि उन्होंने आत्म–रक्षा में गोलियाँ चलाई। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता चूँकि आरक्षक देव प्रकाश के अलावा अन्य किसी सदस्य का आहत होना नहीं दर्शाया गया है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में इस पर भी गौर **किया जा सकता है कि स्वीकृत तौर पर सुरक्षा बलों ने अपनी बंदूकों से 44 गोलियाँ चलाई** जिनमें से 18 गोलियाँ मृतक आरक्षक **देव प्रकाश द्वारा चलाई गई थीं।** यह परिस्थिति यह भी स्पष्टतः **इशारा करती है कि सुरक्षा बलों** ने आग के पास एकत्रित जमाव **के सदस्यों पर बड़ी तीव्रता** से गोलियाँ चलाई जिसके **परिणामस्वरूप आठ व्यक्ति** मारे गए जबकि चार व्यक्ति आहत हुए।

81. मामले का एक और पहलू है जो विचार किए जाने योग्य है। जैसा कि पहले भी गौर किया गया है सभा के सदस्य कथित तौर पर भरमार बंदूकों से लैश थे जबकि आरक्षक देव प्रकाश को आई चोट गोली से कारित चोट थी जो कि भरमार बंदूक से कारित नहीं हुई होगी क्योंकि उस स्थिति में उसे छर्रे से चोट लगी होती। इसके विपरीत यह प्रतीत होता है चूँकि देव प्रकाश को बंदूक से चोट लगी थी अतः इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि उसे अपने ही सहकर्मी द्वारा 'क्रॉस फायरिंग' में चोट लगी होगी, जो स्वीकृत तौर पर गोली बारी में सम्मिलित थे। ऐसा होने के कारण तथा घटना में सुरक्षा बलों के किसी अन्य सदस्य को कोई और चोट नहीं आने के कारण विपक्ष–सुरक्षा बलों की ओर से किया गया यह निवेदन कि जमाव के सदस्य उनकी ओर बढ़े तथा 30 मिनट तक उन पर अंधाधुन गोलियॉ चलाई, किसी भी रूप से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में इस बात पर भी गौर किया जा सकता है कि यदि यह मान भी लिया जाए कि जमाव के सदस्य भरमार बंदूकों से लैश थे (हालाकि यह एक संदेहास्पद अनुमान होगा) तो उनके उपयोग हेतु अन्य सामाग्रियां जैसे बारूद ठूसने वाला छड़, बारूद, कपड़े के टुकड़े, छर्रे इत्यादि जो ऐसे बंदूकों को चलाने हेतु आवश्यक होते हैं, मौके पर पाये जाते तथा उन्हें जप्त कर उनका प्रयोग होना दर्शाया जाता।यद्यपि विवेचना के दौरान दूसरे दिन मौके से ऐसी कोई सामग्री बरामद नहीं हुई। इस प्रकार स्वीकृत तौर पर मौके से कोई वस्तु बरामद नहीं होना जमाव के सदस्यों द्वारा भरमार बंदूकों का प्रयोग किया जाना या उनके पास भरमार बंदूकों के होने के विपरीत है। आगे

यह उल्लेख किया जा सकता है कि जैसा कि पहले पाया गया है कि कथित जब्तियां इत्यादि की विवेचना कार्यवाहियॉ काफी असावधानीपूर्ण तरीके से तथा औपचारिक तौर पर कर दी गई हैं, अतः इससे पूरी कार्यवाही अविश्वसनीय हो जाती है।

82. उपरोक्त विचार–विमर्श से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह दर्शाने हेतु कोई सामग्री नही है कि जमाव के सदस्य अग्नि–अस्त्रो सेलैश थे। अतः घटना के समय जमाव के सदस्यों द्वारा अग्नि–अस्त्र (बंदूकों) का प्रयोग किए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। इसके परिणामस्वरूप, विपक्ष– सुरक्षा बलों की ओर से किया गया यह अभिकथन तथा निवेदन कि जमाव के सदस्य हमलावर थे अथवा वे सुरक्षा बलों की ओर बढ़े तथा अंधाधुन गोलीबारी शुरू कर दी तथा सभी दिशाओं से उनके उपर लगभग 30 मिनट तक गालियाँ चलाई, संबंधित परिस्थितियों की चुनौती में खरा नहीं उतरता तथा सत्य पर आधारित प्रतीत नहीं होता है।

83. उपरोक्त परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में इस पर गौर किया जा सकता है कि स्वीकृत तौर पर जमाव के सदस्यों (जिनका प्रतिनिधित्व शिकायतकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है) में से 08 मृत हुए तथा 04 आहत हुए। यह प्रतीत होता है कि आग के पास लोगों के जमाव को देखकर सुरक्षा बलों के सदस्य ने संभवतः भूलवश उन्हें अराजक/नक्सली समझ लिया और उन पर गोलियाँ चलाने लगे। इस प्रकार, गोलीबारी सुरक्षा बलों द्वारा

घबराहट में हुई प्रतिक्रिया का प्रमाण होना प्रतीत होती है, आत्मरक्षा में की गई प्रतीत नहीं होती जैसा कि विपक्ष सुरक्षा–बलों की ओर से दावा किया गया है।

84.इस बिन्दु पर विचारार्थ उत्पन्न होने वाला एक अन्य पहलू यह है कि क्या जमाव के सदस्य या उनमें से कोई भी सदस्य नक्सली संगठन का सदस्य था अथवा नक्सलियों का हितैषी था जैसा कि विपक्ष– सुरक्षाबलों द्वारा दावा किया गया है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में विपक्ष– सुरक्षाबलों द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि जब भी किसी स्थान पर नक्सलीसंगठनों के महत्वपूर्ण सदस्यों की सभा होती है तो वे एक सुरक्षा घेरे का निर्माण करते हैं। ऐसा सुरक्षा घेरा एकत्रित होने के मुख्य स्थल से 20–25 किलोमीटर के दायरे तक फैला होता है। यह निवेदन किया गया कि अपने नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ऐसे सुरक्षा घेरे में निचले स्तर के नक्सली तथा जन सेना के सदस्य एकत्रित होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा बलों को मुठभेड़ में उलझा सकते हैं ताकि वरीष्ठ नेताओं को समय का लाभ मिले और इस दौरान वे बचकर अपने छुपने के स्थान पर जा सकें। विपक्ष– सुरक्षाबलों की ओर से यह निवेदन किया गया कि बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाने तथा सुकमा जिले के जगरगुण्डा थाने के मध्य का क्षेत्र नक्सली गतिविधियों से ग्रसित है तथा गंभीर रूप से प्रभावित है। इसी तरह गंगालुर तथा पीडिया भी नक्सलियों द्वारा बुरी तरह प्रभावित है।विपक्ष– सुरक्षाबलों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि चूँकि यह क्षेत्र वन तथा पहाड़ों से घिरा हुआ है इसलिए

सुरक्षा बल कई स्थानों पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद नहीं कर सकते। अतः ऐसे इलाकों तथा दुर्गम स्थलों का फायदा उठाते हुए नक्सली आतंक पैदा करते हैं तथा इन क्षेत्रों में आक्रमणकारी गतिविधियों में लिप्त होते हैं।नक्सलियों द्वारा निर्मित भय के वातावरण के कारण ऐसी गतिविधियों का विरोध करने हेतु ग्रामीण भी सामने नहीं आतेतथा इसके विपरीत स्थानीय निवासियों को सुरक्षा बलों पर झूठे आरोप लगाने हेतु विवश किया जाता है।

85.इस प्रकार विपक्ष–सुरक्षा बलों की ओर से यह निवेदन किया गया कि इस प्रकरण में भी नक्सली ग्राम एडसमेटा में ऐसे वरीष्ठ नक्सलियों को सुरक्षा घेरा मुहैया कराने हेतु एकत्रित हुए थे जो पीडिया में एक बैठक करने वाले थे। विपक्ष–सुरक्षा बलों की ओर से यह निवेदन किया गया कि सुरक्षा बलों के वृत्तांत को शिकायतकर्ताओं के वृत्तांत के बदले स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि शिकायतकर्ताओं का वृत्तांत पूर्वाग्रह से ग्रसित है तथा संदेहास्पद तथा बनावटी है।

86.उपरोक्त के विपरीत शिकायतकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि विपक्ष–सुरक्षाबलों द्वारा भी उनके प्रारंभिक वृत्तांत में यह दावा नहीं किया गया था कि घटना की रात मृत पाए गए करम मासा नामक व्यक्ति, जिसके शरीर को सुरक्षा बलों द्वारा घटना की रात अपने साथ थाना गंगालुर ले जाया गया, के अलावा घटना में मृत या जख्मी कोई अन्य व्यक्ति नक्सली था। इस संदर्भ में आगे निवेदन किया गया कि प्रथम सूचना पत्र (एफ.

आई.आर.) प्रदर्श डी. 15 के अनुसार भी घटना में पुलिस बल द्वारा एक नक्सली मार गिराया गया। शिकायतकर्ताओ की ओर से आगे इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन मे मारे गए अन्य व्यक्तियों के विषय मे कुछ नहीं कहा गया। इस प्रकार यह निवेदन किया गया कि सुरक्षा बलों ने भी यह दावा तथा अभिकथन नही किया कि घटना में मारे गए व्यक्ति नक्सली संगठनों से जुड़े हुए थे। आगे इस ओर ध्यान आकृष्ठ कराया गया कि हरिओम सागर ब.सा.1 के पुलिस कथन जिसे प्रदर्श 5 चिन्हित किया गया है तथा बसप्पा उसेण्डी ब.सा. 2 का जिसे प्रदर्श 9 से चिन्हित किया गया है, वे भी इस तथ्य पर बिल्कुल मौन है कि घटना की रात मार गिराए गए अन्य व्यक्ति भी नक्सली थे।

87. शिकायतकर्ताओं की ओर से आगे निवेदन किया गया कि इसके विपरीत काफी समय बाद उक्त साक्षी हरिओम सागर ब.सा. 1 तथा **बसप्पा उसेण्डी ब.सा. 2** के 20/06/2016 दिनांकित पश्चातवर्ती **शपथ–पत्र जिसे इन्होंने** जांच में प्रस्तुत किया है, उसमें इन्होंने **अपने वाक्यों को उसमें यह** अभिकथन करते हुए सुधारने का प्रयत्न **किया है कि सुरक्षा** बलों द्वारा आत्मरक्षा में चलाई गई गोलियॉ **नक्सलियों को लगी। शिकायतकर्ताओं** के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **यह निवेदन किया गया** कि स्पष्ट रूप से यह सुरक्षा बलों के पूर्व वृत्तांत में **एक बदलाव है** जो प्रथम सूचना पत्र तथा इनके **अभिलिखित है जिस पर उपर** ध्यान आकृष्ट कराया गया है। अतः **विपक्ष – सुरक्षा बलों** का यह अभिकथन कि घटना की रात **गोलीबारी में मारे गए अन्य व्यक्ति** भी नक्सली संगठन के सदस्य

थे । बाद में सोची गयी लीपा–पोती है जो सत्य के तौर पर स्वीकार करने योग्य नही है। शिकायतकर्ताओ की ओर से आगे ध्यान आकृष्ट कराया गया कि अभिलेख पर कोई ऐसी ठोस सामग्री मौजूद नहीं है जो यह दर्शाए कि करम मासा सहित मृत व्यक्ति नक्सली संगठनों से जुड़े हुए थे। उपरोक्त परिपेक्ष्य में यह निवेदन किया गया कि यदिविपक्ष–सुरक्षा बलों के इस अभिकथन को मान भी लिया जाए कि मौके पर दो भरमार बंदूकें तथा साहित्य सहित कुछ सामाग्रियाँ पायी गई थी तो भी किसी पक्के सबूत द्वारा इस तथ्य के प्रमाणित हुए बिनाकेवल ऐसी बरामदगी के कारण यह अर्थ नहीं लगा सकता कि इस प्रकार जब्त की गई सामग्री नक्सलियों की थी। शिकायतकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि मृतक करम मासा अथवा अन्य मृतकों को जब्त सामाग्रियों से जोड़ने वाली कोई सामग्री नहीं है। यह निवेदन भी किया गया कि सामग्रियों की जब्ती तथा उनको सील बंद किया जाना प्रक्रिया के अनुरूप नहीं किया गया था तथा जब्त सामग्री न तो ठीक तरह सील बंद किए गए थे और न ही उन्हें परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजो गया था। इसके अतिरिक्त जैसा कि उपर ध्यान आकृष्ट कराया गया है विवेचना बहुत ही असावधानीपूर्ण तरीके से तथा औपचारिक तौर पर किया जाना प्रतीत होता है। अतः विवेचना बहुत ही संदेहास्पद है। ऐसे असावधानीपूर्ण विवेचना का अवलंबन नहीं लिया जा सकता।

88.अतः शिकायतकर्ताओं की ओर से यह निवेदन किया गया कि यह संतोषजनक रूप से सुस्थापित करने का भार विपक्ष– सुरक्षा बलों

पर था कि मृतक नक्सली संगठनों के सदस्य थे, जिसे स्थापित करने में वे बुरी तरह असफल रहे हैं तथा ऐसे किसी सुसंगत सामग्री के बिना यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मृतक नक्सली संगठनों के सदस्य थे। शिकायतकर्ताओं की ओर से यह निवेदन किया गया कि मृतकों तथा घायलों सहित सभा/जमाव के सभी सदस्य ग्राम एडसमेटा के ग्रामीण थे जैसा कि शिकायतकर्ताओ द्वारा दावा किया गया है तथा दर्शाया गया है।

89. शिकायतकर्ताओ के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया कि करम मासा जिसके विषय में सुरक्षा बल उसके नक्सली संगठन के सदस्य होने का दावा कर रहे हैं, उसे न तो नक्सली संगठनों के सदस्यों द्वारा पहने जाने वाली वर्दी पहने हुए नहीं पाया गया और न ही उसे ऐसी किसी सामग्री के आधिपत्य में दिखाया में दिखाया गया है जो यह प्रमाणित कर सके अथवा कम से कम इस अनुमान को अंकुरित कर सके कि वह किसी नक्सली संगठन का सदस्य था। अतः यह निवेदनकिया गया कि मारे गए किसी भी व्यक्ति का नक्सली संगठन का सदस्य होना प्रमाणित नहीं किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया कि विपक्ष– सुरक्षा बलों की ओर से किया गया यह निवेदन कि नक्सली आग के इर्द–गिर्द एकत्रित हुए थे तथा ऐसा कर उन्होंने असैन्यों (सिविलियन्स) का एक घेरा तैयार किया था, केवल एक पश्चातवर्ती विचार है तथा वस्तुतः यह निवेदन बहुत बाद में बड़ी संख्या में लोगों की हत्या तथा उन्होंने चोट पहुँचाए जाने को न्यायोचित ठहराने हेतु किया गया।

90. विभिन्न परिस्थितियों तथा नक्सली संगठनों के संबंध में संस्करण जिन पर उपर विचार किया जा चुका है तथा विपक्ष– सुरक्षा बलों के इस संस्करण को कि मृत तथा घायल व्यक्ति नक्सली संगठन के सदस्य थे, को स्वीकार किए जाने हेतु किसी ठोस तथा विश्वसनीय सामग्री के अभाव में ऐसा संस्करण स्वीकार नहीं किया जा सकता है तथा यह प्रतीत होता है कि मृत तथा घायल व्यक्ति नक्सली संगठन के सदस्य नहीं थे।

91. पक्षों द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों तथा सामग्रियों पर विचारोपरान्त अब इस जाँच के विचारार्थ विषयों को विशेष रूप से समाधान करना होगा, जो अब किया जाएगा तथा प्रत्येक विचारार्थ विषय का उत्तर अभिलेख पर मौजूद सामग्री तथा उस पर विचार के आधार पर दिया जाएगा।

विचारार्थ विषय क्र. 1 और 2 :

(1) क्या 17–18 मई, 2013 की रात्रि में जिला बीजापुर के थाना गंगालुर के ग्राम एडसमेटा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई?

(2) उक्त घटना कब और किन परिस्थितियों में घटित हुई ?

92. चूँकि उपरोक्त दोनों विचारार्थ विषयों का एक साथ निपटारा करना सुविधाजनक होगा अतः उनका एक साथ निपटारा किया जा रहा है। जैसा कि पहले गौर किया जा चुका है, स्वीकृत रूप से सी. आर.पी.एफ. कोबरा बटालियन 204 व 208 तथा पुलिस बल के

सदस्यों से समाहित सुरक्षा बलों के एक संयुक्त दल (टीम) को थाना गंगालुर से ग्राम पीडिया की ओर बढ़ने हेतु निर्देशित किया गया, जहाँ सुरक्षा बलों को प्राप्त खुफिया जानकारी के अनुसार नक्सली संगठनों के अनेक सदस्यों का एकत्रित होना अपेक्षित था।

93.ग्राम एडसमेटा के समीप सुरक्षा बलों के सदस्यों तथा आग के पास एकत्रित व्यक्तियों के मध्य मुठभेड़ हुई। इस पर गौर किया जा सकता है कि सी.आर.पी.एफ. तथा पुलिस कर्मियों से समाहित संयुक्त दल के मुखिया हरिओम सागर ब.सा. 1 तथा सखाराम मण्डावी ब.सा. 3 ने स्वीकार किया है कि ऐसी कोई खुफिया जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी कि नक्सली संगठनों के सदस्य ग्राम एडसमेटा के समीप एकत्रित हुए थे। अतः यह स्पष्ट है कि सुरक्षा बलों के संचलन दल (मार्चिंग टीम) के पास यह अनुमान लगाने हेतु अथवा विश्वास करने हेतु कोई विश्वसनीय सूचना नहीं थी कि आग के इर्द–गिर्द बैठे व्यक्ति नक्सली संगठनों के सदस्य थे।

94.इस पर भी गौर कियाजाना है कि पहले विचार किया जा चुका है कि अभिलेख पर ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद नहीं है कि जमाव के सदस्य खतरनाक हथियारों तथा बंदूकों से लैश थे। हालाँकि दो भरमार बँदूकें तथा कुछ अन्य सामग्रियाँ कथित तौर पर विवेचना के दौरान जप्त किए गए थे परन्तु जैसा कि पहले विस्तार में विचार–विमर्श किया जा चुका है, जप्ती संदेहास्पद तथा अविश्वसनीय है। उपरोक्त विचार–विमर्श से स्पष्ट है कि विवेचना ठीक से नहीं की गई थी तथा स्पष्ट है कि बड़ी जल्दबाजी में की

गई थी। उसके अन्तर्गत तैयार किए गए दस्तावेजो में सामग्री तथा आवश्यक विवरणो का अभाव है। इसके अतिरिक्त कथित तौर पर जप्त सामग्री भी नक्सली संगठनो से संबधित होने की ओर कोई इशारा नही करते हैं।

95. एक बार फिर दोहराते हुए यह उल्लेख किया जा सकता है कि पुरन किशोर साहू ब.सा. 4 पुलिस उप अधीक्षक जो सुसंगत समय पर थाना गंगालुर में निरीक्षक के पद पर तैनात था तथा जिसके द्वारा कुछ विवेचना भी की गई थी का कथन है कि विवेचना के दौरान वह उसे सूचना देने वाले सखाराम मण्डावी ब.सा. 3 के साथ मोटर–सायकल से ग्राम एडसमेटा गया था। उसका कथन है कि विवेचना हेतु वह ग्राम एडसमेटा में मौके पर 15–20 मिनट तक रूका। यह समझा जा सकता है कि ऐसी गम्भीर घटना के संबध में इतने अल्प समय में विवेचना कैसे की जा सकती थी।

96. जैसा कि पहले विचार–विमर्श किया जा चुका है, विवेचना बड़ी ही लापरवाही से की गई है। सुसंगत दस्तावेज ठीक से तैयार नहीं किए गए। उनमें तारीख इत्यादि के संबंध में कुछ काट–छाँट देखे जा सकते हैं। 'केस डायरी', 'ड्यूटी रजिस्टर' जैसे सुसंगत दस्तावेज जो पुरन किशोर साहू ब.सा. 4 के कथन का समर्थन कर सकते थे, जाँच में पेश नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कथित तौर पर विवेचना के दौरान जप्त सामग्रियों का पूरी तरह और ठीक से वर्णन नहीं किया गया तथा उन्हें सम्यक रूप से सीलबंद भी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, इन सामग्रियों को विधि

वैज्ञानिक जाँच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भी नहीं भेजा गया। भरमार बंदूक जैसे तथाकथित जप्त हथियारों का जप्ती पत्रक में ठीक से वर्णन नहीं किया गया तथा उनकी कार्यक्षमता, यहाँ तक की घटना में उनके उपयोग को स्थापित करने हेतु सम्यक रूप से उनका परीक्षण नहीं कराया गया।

97.परिस्थितियाँ जिन पर विचार–विमर्श किया जा चुका है तथा विवेचना की विसंगतियाँ तथा खामियाँ साफ तौर पर यह दर्शाते हैं कि विवेचना निकृष्ट थी तथा उसका अवलंबन नहीं लिया जा सकता। अतः यह निष्कर्षित करना होगा कि यह संतोषजनक रूप अथवा निर्णायक रू॰ से प्रमाणित नहीं हुआ है कि जमाव के सदस्य शस्त्र सुसज्जित थे तथा उनके पास घातक हथियार तथा बंदूकें थी। उपरोक्त परिपेक्ष्य में यह उल्लेख भी किया जा सकता है कि यह जमाव के सदस्यों के पास बंदूकें अथवा अन्य अस्त्र–शस्त्र होते और उन्होंने सुरक्षा बलों पर सभी दिशाओं से अंधाधुन गोलीबारी की होती जैसा कि विपक्ष– सुरक्षा बलों की ओर से परीक्षित साक्षियों का कथन है, तो सुरक्षा बलों के 152 सदस्य जो स्वीकृत दौर पर एक ही कतार (सिंगल फाइल) में चल रहे थे तथा कथित तौर पर अपने–अपने स्थान पर जम गए थे, उन्हें अनेक चोटें आई होतीं। यद्यपि उनमें सी.आर.पी.एफ. के आरक्षक देव प्रकाश के अलावा अन्य किसी को कोई चोट नहीं आई। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले गौर किया जा चुका है कि आरक्षक देव प्रकाश के माथे पर आई एकमात्र घातक चोट एक गोली लगने की चोट थी जो भरमार बंदूक से कारित नहीं हो सकती थी जिससे स्वीकृत

तौर पर छर्रे की चोट आई होती, गोली की चोट नहीं जो स्वीकृत तौर पर उसे आई थी।

98.अतः यह प्रतीत नहीं होता है कि सुरक्षा बलों के 152 कर्मियों में से किसी सदस्य को एक कतार में लेटे होने के दौरान सभा के सदस्यों की गोली नही लगी होती जिनके विरूद्ध अभिकथन है कि वे सभी दिशाओं से गोलियाँ चला रहे थे। निश्चित रूप से ऐसा अभिकथन केवल नकारे जाने के ही योग्य है। इसके विपरीत, इसमें कोई विवाद नहीं है कि सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी से आठ व्यक्ति मारे गए तथा चार व्यक्ति घायल हुए तथा एक अन्य व्यक्ति की बाद में मृत्यु हुई। मृतकों की संख्या तथा उनके चोटों की प्रकृति सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी की तीव्रता को दर्शाते हैं। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि केवल मृतक देव प्रकाश ने ही स्वयं सुरक्षा बलों द्वारा चलाई गई 44 गोलियों में से 18 गोलियॉं चलाई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारी गोलाबारी सुरक्षा बलों के पक्ष द्वारा की गई जमाव के सदस्यों द्वारा नहीं। अतः यह प्रतीत होता है कि एडसमेटा पहुँचते समय सुरक्षा बलों के सदस्यों को आग के इर्द–गिर्द एकत्रित लोगों को देखकर संदेह हुआ तथा उन्होंने वहाँ जमा सदस्यों को संभवतः नक्सली मान लिया तथा घबराहट में गोलियाँ चलानी शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त जनहानि हुई। इस पर गौर किया जा सकता है कि किसी भी संतोषजनक सामग्री द्वारा किसी भी मृत या घायल व्यक्ति का नक्सली संगठन का सदस्य होना स्थापित नहीं हुआ है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में इस पर भी गौर किया

जाना आवश्यक है कि विपक्ष– सुरक्षा बलों के संस्करण के अनुसार सभी घायल व्यक्तियों तथा मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा अनुकम्पा राशि प्रदान की गई थी जब कि राज्य शासन की यह सुस्थापित नीति है कि घायल नक्सलियों अथवा मृत नक्सलियों के परिजनों को अनुकम्पा राशि नहीं दी जाती है। अतः राज्य सरकार के उपरोक्त आचरण से यह प्रकट होता है कि राज्य शासन ने भी मुठभेड़ में मारे गए तथा घायल व्यक्तियों को नक्सली नहीं माना है।

99. विचारार्थ विषय क्र. 1 और 2 के उत्तर निम्नलिखित हैं :

यह कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ की घटना 17 तथा 18 मई, 2013 की दरमियानी रात को ग्राम एडसमेटा में हुई

परन्तु

यह स्थापित नहीं हुआ है कि उक्त मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई। आगे यह प्रकट होता है कि घटना सुरक्षा बलों द्वारा ग्राम एडसमेटा के समीप आग के इर्द–गिर्द एकत्रित हुए व्यक्तियों को देखकर उन्हें संभवतः गलती से नक्सली संगठन के सदस्य समझकर घबराहट की प्रतिक्रिया के कारण गोलियाँ चलाने से कारित हुई।

विचारार्थ विषय क्र. 3

100.अब विचारार्थ विषय क्र. 3 पर विचार कर उत्तर दिया जा रहा है।

विचारार्थ विषय क्र. 3 निम्नलिखित है :

क्या उक्त घटना में सुरक्षा बलों या नक्सलियों अथवा उनके

अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति मृत या घायल हुआ?

101.अविवादित तौर पर, मुठभेड़ के समय सुरक्षा बलों के सदस्य–आरक्षक देव प्रकाश को माथे में गोली लगी थी। उक्त चोट के कारण घटना के पश्चात् उसे गंगालुर ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके अलावा आठ अन्य व्यक्तियों को प्राणघातक चोटें आई (जो मारे गए) तथा चार अन्य व्यक्ति घायल हुए थे जो कि अविवादित है तथा इस पर पहले विस्तार में विचार–विमर्श किया जा चुका है।

102.उपरोक्त के संबंध में शिकायतकर्ताओं की ओर से इस बात पर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया था कि मृत व्यक्तियों में से तीन – करम बद्रु, पुनेम लाखु तथा करम गुड्डु उर्फ छोटू अवयस्क थे जिनकी आयु लगभग 13–14 वर्ष थी जबकि एम.एल.सी. अभिलेख दर्शाते हैं कि घटना में जख्मी हुए दो व्यक्तियों – पुनेम सोमलु तथा करम छोटू की आयु लगभग 14–15 वर्ष थी। इस पर भी गौर किया जा सकता है कि बुधराम नामक एक अन्य व्यक्ति को भी घटना के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा मारकर घायल किया गया था। कथित तौर पर उक्त चोटों के कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। यद्यपि कोई एम.एल.सी. अथवा चोटों का प्रतिवेदन अभिलेख पर मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त, शव परीक्षण (पोस्ट मॉर्टम) इत्यादि संबंधी दस्तावेज भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः बुधराम को आई चोटें तथा उसकी मृत्यु के अभिकथनों की पुष्टि नहीं हो पाई है। जैसा कि अभिलेख पर

प्रस्तुत सामग्रियों तथा साक्ष्यों के किए जा चुके विस्तृत मूल्यांकन से प्रकट होता है, उपरोक्त मृत तथा घायल व्यक्तियों में से किसी का भी नक्सली संगठन से जुड़ा होना प्रमाणित नहीं हुआ है चूँकि इस संबंध में कोई भी संतोषजनक साक्ष्य नहीं है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में शिकायतकर्ताओं की ओर से यह निवेदन भी किया गया कि स्वीकृत तौर पर तथा विपक्ष– सुरक्षा बलों के संस्करण के अनुसार भी सभी मृतकों के परिजनों को तथा सभी घायल व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा अनुकम्पा राशि प्रदान की गई थी, जो कि, जैसा कि पहले इस पर ध्यान आकृष्ट कराया जा चुका है, स्पष्टतः दर्शाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों (मृत तथा घायल व्यक्ति) को राज्य शासन भी नक्सली संगठनों का सदस्य नहीं मानता क्योंकि यह राज्य शासन की सुस्थापित नीति है कि मृत नक्सलियों के परिजनों को अथवा आहत हुए नक्सलियों को राज्य शासन कोई अनुकम्पा राशि प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा भी घटना में मृत या घायल व्यक्तियों की पहचान नक्सलियों के रूप में स्थापित करने वाली कोई संतोषजनक सामग्री नही होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि घटना में मृत तथा आहत हुए व्यक्ति नक्सली थे।

103.तदानुसार विचारार्थ विषय क्र. 3 का उत्तर यह है कि घटना में सुरक्षा बलों का एक सदस्य, आरक्षक देव प्रकाश मारा गया तथा यह प्रमाणित नहीं है कि घटना में मारे गए तथा आहत हुए अन्य व्यक्ति नक्सली थे अथवा नक्सली संगठनों से संबंधित थे।

<u>विचारार्थ विषय क्र. 4 :</u>

104. विचारार्थ विषय क्र. 3 का उपरोक्तानुसार उत्तर दिए जाने के बाद अब विचारार्थ विषय क्र. 4 पर विचारकर उत्तर दिया जाना है। विचारार्थ विषय क्र. 4 निम्नलिखित है :

> यदि उक्त घटना में सुरक्षा–बलों के सदस्य मृत या घायल हुए तो सुरक्षा–बलों के ऐसे सदस्य किन परिस्थितियों में मृत या घायल हुए?

105. जैसा कि पहले गौर किया जा चुका है, सुरक्षा बलों का केवल एक सदस्य–आरक्षक देव प्रकाश घटना में मारा गया। जैसा कि पहले ध्यान आकृष्ट कराया गया है, उसे माथे पर गोली लगी थी जो प्राणघातक साबित हुई। इस पर गौर किया जा सकता है कि जमाव के सदस्यों के संबंध में उनके पास ऐसे हथियार होने का अभिकथन नहीं किया गया है जिससे गोली लगने का चोट पहुँचा जा सकता हो। उपरोक्त परिपेक्ष्य में इस बात पर गौर किया जा सकता है कि स्वीकृत तौर पर सुरक्षा बलों के सदस्य राइफल, बंदूकें इत्यादि जैसे ऐसे अग्नि–अस्त्रों से सुसज्जित थे जिनसे गोली लगने की चोट पहुँचाई जा सकती थी। जैसा कि पहले भी विचार–विमर्श किया जा चुका है, विपक्ष– सुरक्षा बलों के संस्करण के अनुसार मौके से दो भरमार बंदूकें जप्त की गई थी। यद्यपि यह मान भी लिया जाए कि जमाव के सदस्यों के आधिपत्य में भरमार बंदूकें थीं (हालाँकि जैसा कि पहले विचार किया जा चुका है कि

उक्त तथ्य संतोषजनक साक्ष्य द्वारा सुस्थापित नहीं है) तो भी भरमार बंदूकों को चलाया जाना नहीं दर्शाया गया है तथा यदि मान भी लिया जाए कि उन्हें चलाया गया था तो उससे केवल छर्रे की चोटें लग सकती थी गोली की चोटें नहीं। अतः जैसा कि शिकायत कर्ताओं की ओर से निवेदन किया गया है, यह निष्कर्ष निकालना होगा कि आरक्षक देव प्रकाश को आई गोली की चोट सुरक्षा बलों के ही किसी सदस्य द्वारा चलाई गई गोली से अर्थात् 'क्रॉस फायरिंग' से कारित हुई थी। उपरोक्त पहलू पर पहले ही विस्तार में विचार–विमर्श किया जा चुका है। अतः विचारार्थ विषय क्र. 4 के संबंध में यह अधिकथित किया जाता है कि :

> ''इसकी पूरी संभावना है कि आरक्षक देव प्रकाश को आई प्राणघातक गोली की चोट (बुलेट इंजरी) 'क्रॉस फायरिंग' (उसके ही दल के सदस्य की गोली लगने से) के कारण आई थी; जमाव के सदस्यों द्वारा की गई गोलीबारी से नहीं।''

106. तदानुसार विचारार्थ विषय क्र. 4 का उत्तर दिया जाता है।

विचारार्थ विषय क्र. 5 :

107. अब विचारार्थ विषय क्र. 5 पर विचार कर उसका उत्तर दिया जा रहा है। उक्त विचारार्थ क्र. 5 निम्नलिखित है :

यदि सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति (महिला/पुरूष/बच्चा) मृत या घायल हुआ था, तो ऐसे व्यक्ति किन परिस्थितियों में घटना स्थल पर या उसके आसपास उपस्थित थे ?

108. स्वीकृत तौर पर घटना मे मारे गए व्यक्ति करम जोगा, करम बद्रु (अवयस्क), पुनेम सोनु, पुनेम लाखो (अवयस्क), करम पण्डु, करम गुड्डु (अवयस्क), करम मासा तथा करम सोमलु थे। इसी तरह यह भी अविवादित है कि घटना में आहत होने वाले चार व्यक्ति पुनेम सोमलु, करम अयातु, करम छोटू तथा करम सन्नु थे।

109. जैसा कि पहले विस्तार में विचार–विमर्श किया जा चुका है, यह प्रतीत होता है कि आग के इर्द–गिर्द 25 से 50 व्यक्तियों को एकत्रित देखकर सुरक्षा बलों के सदस्यों ने संभवतः गलती से उन्हें नक्सली संगठन सदस्य समझ लिया तथा इस वजह से घबराहटमें वे उन पर गोलियाँ चलाने लगे जिससे मृतकों तथा आहत व्यक्तियों को उपरोक्त चोटें आई। हालाँकि विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा यह संतोषजनक रूप से प्रमाणित नही हुआ है कि आग के इर्द–गिर्द व्यक्तियों का जमाव 'बीज पण्डुम' उत्सव मनाने के लिए था यद्यपि सिर्फ इससे ही सुरक्षा बलों द्वारा जमाव के सदस्यों पर गोलियाँ चलाए जाने हेतु कोई न्यायोचित कारण निर्मित नहीं होता है। जैसा कि पहले विस्तार में विचार–विमर्श किया जा चुका है, यह भी प्रमाणित नही है कि आग के इर्द–गिर्द एकत्रित व्यक्ति नक्सली संगठनो के सदस्य थे। यद्यपि जमाव को सुरक्षा बलों के

सदस्यों द्वारा सम्भवतः गलती से नक्सली संगठन को सदस्य समझ लिया जिससे वे गोलियाँ चलाने हेतु उत्तेजित हुए।

110. विचारार्थ विषय क्र. 5 का तदानुसार उत्तर दिया जाता है।

विचारार्थ विषय क्र. 6

111. अब विचारार्थ विषय क्र. 6 पर विचार–विमर्श किया जाना है। उक्त विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :

> क्या गश्त (संचलन) प्रारंभ करने के पूर्व सुरक्षा बलों द्वारा पूर्वोपाय किए गए तथा आवश्यक सावधानियाँ सुनिश्चित की गई ?

112. शिकायतकर्ताओं की ओर से उनके विद्वार अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि पर्याप्त सावधानियाँ बरतने के संबंध में प्राधिकारियों द्वारा ठीक से जानकारी नहीं दी गई थी। उपरोक्त परिपेक्ष्य में शिकायतकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने ध्यान आकृष्ट कराया गया कि हालाँकि सुरक्षा बलों के संचलन दल (मार्चिंग पार्टी) के मुखिया हरिओम सागर ब.सा. 1 ने अपने प्रति–परीक्षण की कण्डिका 22 में कथन किया है उन्हें मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) संबंधी निर्देश दिए गए थे यद्यपि उसने कथन किया कि उसे उक्त निर्देश याद नहीं थे। हरिओम सागर ब.सा. 1 के कथन से यह अर्थ भी निकलता है कि जानकारी दिए जाने (ब्रीफिंग) के समय उसके अलावा कोई और उपस्थित नहीं था। उपरोक्त परिपेक्ष्य में बसप्पा उसेण्डी अ.सा. 2 का कथन है कि अभियान (ऑपरेशन) के संबंध

में सारी जानकारियाँ (ब्रीफिंग) संचलन दल के सभी सदस्यों को हरिओम सागर द्वारा दी गई थी। यद्यपि वह सुरक्षा बलों के संचालन दल को दिए गए वास्तविक निर्देशों का वर्णन करने में असमर्थ है। इसी तरह सखाराम मण्डावी ब.सा. 3 ने हालाँकि यह कथन किया है कि उसे हरिओम सागर ब.सा. 1 द्वारा जानकारियाँ दी गई थीं परन्तु वह भी कथित 'ब्रीफिंग' में दिए गए निर्देशों का वर्णन करने में है। अतः यह संतोषजनक रूप से सुस्थापित नहीं है कि कथित 'ब्रीफिंग' में वास्तव में क्या निर्देश दिए गए थे।

113.अभिलेख पर मौजूद सामग्री तथा उपरोक्त साक्षियों के कथनों से यह प्रकट होता है कि उन्हें उन क्षेत्रों को टालने को कहा गया था जहाँ असैन्य नागरिक निवासरत हों। यह भी प्रकट होता है कि 'नाइट विजन' उपकरण, 'बुलेट प्रूफ जैकेट' से कुछ आवश्यक सुरक्षा उपकरण संचलन दल के केवल कुछ ही सछसयों को प्रदान किए गए थे तथा सुरक्षा बलों के अन्य सदस्यों को यह उपकरण प्रदान नहीं किए गए थे। अतः यह प्रकट होता है कि संचलन प्रारम्भ करने से पूर्व सुरक्षा बलों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं किए गए थे जो ग्राम एडसमेटा के समीप पहुँचने पर या वहाँ से गुजरते समय आग के पास व्यक्तियों के जमाव को देखने पर उत्पन्न असुरक्षा की भावना तथा घबराहट में की गई प्रतिक्रिया का कारण था। अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह भी प्रकट होता है कि संचलन दल के सदस्यों को मार्ग (रूट) की जानकारी नहीं थी तथा वे इस मार्ग से पहले कभी नहीं गुजरे थे

जैसा कि विपक्ष– सुरक्षा बलों की ओर सी परीक्षित उपरोक्त साक्षियो के कथनो से स्पष्ट है।

114.अतः उपरोक्त से यह प्रकट होता है कि सुरक्षा बल न तो आवश्यक सुरक्षा उपकरणों से सुरक्षित थे और न ही उन्हें असैन्य नागरिको का सामना करने से बचने हेतु उचित जानकारियाँ प्रदान की गई थी। अतः यह प्रकटहोता है कि संचलन अभियान प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक सावधानियाँ सम्यक अथवा पूर्ण रूप से न तो बरती गई थी और न ही उनका पालन सुनिश्चित किया गया था।

115.तद्नुसार विचारार्थ विषय कमांक 6 का उत्तर दिया जाता है।

<u>विचारार्थ बिन्दु क्र. 7</u>

116. विचारार्थ बिन्दु क्र. 7 है :

वह कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनमें सुरक्षा बलों को गोलियाँ चलानी पड़ी ? क्या गोलीबारी को टाला जा सकता था ?

117.एक बार फिर से दोहराते हुए यह उल्लेख किया जा सकता है कि जब सुरक्षा बलों ने आग के पास लोगों के जमाव को देखा सम्भवतः उन्होंने उन्हें नक्सली संगठन का सदस्य मान लिया जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने आड़ (कवर) ली और तथाकथित

आत्मरक्षा में गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। यद्यपि जैसा कि पहले भी विचार किया जा चुका है, वस्तुतः सुरक्षा बलों के सदस्यों के जान को कोई वास्तविक खतरा नहीं था क्योंकि यह संतोषजनक रूप से सुस्थापित नहीं किया गया है कि जमाव के सदस्यों ने सुरक्षा बलों के संचलन दल (मार्चिंग पार्टी) पर हमला किया या उन पर गोलियाँ चलाना प्रारम्भ किया। अतः जैसा कि पहले भी गौर किया गया है तथा माना गया है, सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी आत्मरक्षा में नहीं की गई थी बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा गोलीबारी उनसे पहचानने में हुई गलती तथा घबराहट के कारण हुई थी। जैसा कि पहले इस बात पर गौर किया जा चुका है कि यदि सुरक्षा बल आत्मरक्षा के पर्याप्त उपकरणों (गैजेट्स) से अच्छी तरह सुसज्जित होते तथा उन्हें बेहतर खुफिया जानकारी दी गई होती तथा यदि वे उचित सावधानी बरतते तो सम्भवतः गोलीबारी को टाला जा सकता था।

118. विचारार्थ विषय क्रमाँक 7 का उपरोक्तानुसार उत्तर दिया जाता है।

विचारार्थ विषय क्र. 8

119.आयोग हेतु विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :

भविष्य हेतु सुझाव

120. शिकायतकर्ताओं की ओर से 'आयोग हेतु अनुशंसा' तथा 'विशिष्ट अनुशंसा' शीर्षकों के अन्तर्गत अनेक अनुशंसाएँ तथा सुझाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त अनुशंसाएँ तथा सुझाव व्यापक है तथा उनमें से अनेक जाँच के अधीन घटना के संबंध में सुसंगत प्रतीत नहीं होते हैं। यद्यपि उन्हें उपर्युक्त प्राधिकरणों द्वारा ऐसे विचार जो उचित प्रतीत हों, में लिए जाने हेतु इस प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

जहाँ तक इस आयोग द्वारा सुझाव का प्रश्न है, इस दृष्टि से कि उनका पालन करने पर वे उपयोगी साबित होंगे तथा भविष्य में ऐसी घटना की आवृत्ति को टाल सकेंगे, निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं।

121. तदानुसार यह सुझाव दिए जाते हैं कि :

1) **सुरक्षा बलों को ऐसे मापांक (मोड्यूल)** निर्मित तथा निरूपित कर **इस हेतु बेहतर प्रशिक्षण** दिया जाना चाहिए कि सुरक्षा कर्मी न **केवल बस्तर की सामाजिक** स्थितियों तथा धार्मिक त्यौहारों से **परिचित हों बल्कि वहाँ के** पहाड़ी तथा वन्य क्षेत्रों से भी परिचित **हो।**

2) **तेज** नियन्त्रण (कमाण्ड) तथा विकट परिस्थितियों में विशेषकर **रात्रि में संचलन के समय** अधिक संतुलित तथा तपी–तुर्ला

कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु बलों को आधुनिक उपकरण तथा संचार के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

3)संचार (सूचना) एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति और दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक पहुँचाए जाने वाली व्यवस्था के बदले संचलन दल के सदस्यों में आपसी संचार तेज तथा सुचारू हो यह सुनिश्चित करने हेतु संचार तन्त्र (इंटर–कम्यूनिकेशन सिस्टम) को भी और अधिक प्रभावी तथा कार्यक्षम बनाना चाहिए।

4)सभी सुरक्षा कर्मियों को 'बुलेट प्रूफ जैकेट', 'नाइट विजन' उपकरण जैसे उपयुक्त और पर्याप्त सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए ताकि बल के सदस्य और अधिक सुरक्षित आश्वशत महसूस करें तथा जल्दबाजी अथवा घबराहट में कार्य न करें।

5)बलों के सदस्यों को और अधिक संतुलित बनाने हेतु उनकी मनोस्थिति बेहतर बनाने हेतु उन्हें समय–समय पर व्यापक पाठ्यक्रम प्रदान करना चाहिए जिससे वे विकट परिस्थितियों मे भी समभाव से कार्य करें।

6)नक्सलियों/आतंकवादी संगठनों द्वारा आमतौर पर अपनाए जाने वाली गुरिल्ला पद्धति में लड़ाई का जवाब देने हेतु सुरक्षा बलों के सदस्यों को व्यापक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

7) सुरक्षा बलों को स्थानीय लोगों के साथ अधिक बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सुरक्षा बलों को स्थानीय

निवासियों के त्यौहारों तथा गतिविधियों में सम्मिलित होने की सलाह दी जानी चाहिए ताकि सुरक्षा बल उनके रहन–सहन तथा रीति–रिवाजों से परिचित हो सकें।

8) क्षेत्र में ऐसी घटनाओ की तीव्रता को देखते हुए खुफिया सूचना–तन्त्र को और भी अधिक मजबूत तथा विश्वसनीय बनाया जाना चाहिए जिसके पास सुरक्षा बलों सम्पूर्ण प्रस्तावित अभियान के संबंध में जानकारी समय पूर्व एकत्रित कर प्रदान करने हेतु बेहतर ढंग से तैयार रहना चाहिए। ऐसी खुफिया जानकारी संभवतः समयपूर्व किए गए वृहद सर्वेक्षण से एकत्रित की जा सकती है तथा 'ड्रोन' अथवा अन्य मानव–रहित यंत्रीकृत उपकरणों जैसे आधुनिक उपकरणों के माध्यम से सुरक्षात्मक आवरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

9)नक्सली गतिविधियों/बैठकों के ठिकाने इत्यादि की गहरी जानकारी रखने वाले आत्म–समर्पण कर चुके नक्सलियों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

10) बस्तर के ग्रामीण तथा अंदरूनी इलाकों में सामान्य विकास, विशेषकर सड़कों की संयोजकता में युद्ध–स्तर पर सुधार किया जाना चाहिए।

122. इस प्रतिवेदन की समाप्ति से पूर्व, दोनों पक्षों की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओ को उनकी प्रतिबद्धता, पूरी कार्यवाही के दौरान पेशेवर रूख कायम रखने तथा जाँच की प्रगति के प्रति उनके सकारात्मक योगदान हेतु आयोग अभिलेख पर उनके प्रति सराहना तथा प्रशंसा दर्ज करना चाहता है।

सही / –

(न्यायमूर्ति व्ही.के. अग्रवाल)
एकल सदस्य,
न्यायिक जाँच आयोग

दिनाँक 30–06–2021

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

विषय:- जिला बीजापुर के ग्राम एडसमेटा में दिनांक 17-18 मई, 2013 को घटित घटना की न्यायिक जांच कराने हेतु गठित आयोग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन बाबत् ।

--00--

दिनांक 17-18 मई, 2013 को जिला बीजापुर के थाना गंगालूर के ग्राम एड्समेटा के नजदीक सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के मध्य कथित मुठभेड़ की घटना की विशेष जांच हेतु सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दिनांक 19.05.2013 द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री व्ही. के. अग्रवाल, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। जांच आयोग द्वारा दिनांक 29.07.2021 को जांच प्रतिवेदन शासन को उपलब्ध कराया गया है ।

2/ छत्तीसगढ़ कार्यपालन शासन के कार्यनियम के भाग-दो के नियम-7 के अधीन जारी किये गये निर्देश की कंडिका (दस) की अपेक्षानुसार एकल सदस्यीय जांच आयोग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन मंत्रि-परिषद के समक्ष विचारार्थ दिनांक 08.09.2021 को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया । मंत्रि-परिषद की बैठक में हुये निर्णय के पालन में जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही करने हेतु गृह विभाग से पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है।

3/ गृह विभाग द्वारा निम्नानुसार पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है:-

कंडिका-01 - घटना के संबंध में थाना गंगालूर, जिला बीजापुर में अपराध क्रमांक 14/2013 **पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया** । घटना के संबंध में याचिकाकर्ता श्री डिग्री प्रसाद **चौहान** एवं अन्य द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में याचिका क्रमांक W.P. (Criminal) No. 162/2013 दायर किया गया है । माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश **दिनांक 03.05.2019 के परिपालन में** थाना गंगालूर, जिला बीजापुर में **पंजीबद्ध** अपराध **क्रमांक** 14/2013 **की सम्पूर्ण** केस डायरी दिनांक 06.07.2019 को सीबीआई, जबलपुर को **सौंपी** गई है। प्रकरण में सीबीआई द्वारा विवेचना की जा रही है ।

क्रमशः...2

कंडिका-02- जांच आयोग द्वारा जांच प्रतिवेदन के बिंदु क्रमांक 08 में दिये गये सुझावों पर गृह विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई है :-

सुझाव बिंदु-01- एस एफ की ट्रेनिंग को बेहतर किया जाये तथा बस्तर की सामाजिक स्थिति, धार्मिक त्योहारों के साथ-साथ पहाड़ी व वन क्षेत्रों के संबंध में एफ को Conversant किया जाए ।

टीप- छत्तीसगढ़ पुलिस के ट्रेनिंग तथा CAPF के Induction ट्रेनिंग में इन बिन्दुओं के संबंध मे जानकारी दी जाती है । माननीय आयोग के निर्देशों के रूप में छत्तीसगढ़ के सभी प्रशिक्षण शालाओं, CTJW College Kanker/CIAT School/ सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं तथा CAPF के Induction से संबंधित समस्त प्रशिक्षणों में उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में विशेष लेक्चर/प्रशिक्षण आयोजित कराये जाने का निर्देश दिया जाना विचारणीय है ।

सुझाव बिंदु-02-एस एफ को आधुनिक उपकरण तथा संचार साधन उपलब्ध कराया जाना, विशेषतः रात्रि के अभियानों के दौरान ।

टीप- SFs को पर्याप्त उपकरण तथा संचार साधन उपलब्ध कराये गये है, जिनमें आधुनिक हथियारों के साथ-साथ बीपी जैकेट, रात्रि विजन उपकरण तथा आधुनिक संचार उपकरण, सेटेलाईट फोन आदि शामिल है । अभियान में इन उपकरणों की आवश्यकता तथा परिस्थिति के अनुसार पर्याप्त संख्या में प्रदान किया जाता है । यह भी उल्लेखनीय है कि बीपी जैकेट आदि उपकरणों से जवानों को अतिरिक्त वजन/बोझ उठाना पड़ता है, जिसके कारण कार्यक्षमता Comfort तथा Swiftness प्रभावित होती है । अतः अभियान में इन उपकरणों की संख्या के संबंध में ग्राउन्ड की परिस्थिति के अनुरूप लोकल कमांडर्स तथा ट्रूपस् के निर्णय के अनुसार निर्णय लिया जाता है ।

जांच आयोग द्वारा पैरा 113 में उल्लेख किया गया है कि सुरक्षा उपकरण कम होने से फोर्स में असुरक्षा की भावना एवं इसके कारण त्वरित Panic Reaction में फायरिंग की गई, पैरा 114 में भी उपकरणों का उल्लेख है । सुरक्षा उपकरणों की कमी से किस स्तर की असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है तथा इसके कारण को कोई Panic Reaction किया जाता है, के संबंध में जिले में कार्यरत तथा फील्ड में कार्यरत तथा फील्ड के व्यापक अनुभव वाले अधिकारियों एवं जवानों से विस्तुत जानकारी प्राप्त कर पर्याप्त संख्या में एवं अभियान की दृष्टि से उत्तम श्रेणी के उपकरण उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

क्रमशः...3

<u>**सुझाव बिंदु-03**</u>-आपसी संचार को और प्रभावी तथा efficient बनाये जाने की आवश्यकता है, ताकि यह Swift and smooth रहे तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता नहीं हो।

टीप- आपसी संचार व्यवस्था इस प्रकार होती है कि अभियान दल वरिष्ठ मुख्यालयों के प्रभावी सम्पर्क में रहे तथा अभियान में शामिल विभिन्न टीमों/दलों बीच आपसी संचार प्रभावी रहें। CAPF की टुकड़िया कम्पनी/प्लाटून/सेक्शन के रूप में गठित रहती है। संचार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कमाण्ड एवं कन्ट्रोल तथा कार्यवाही को प्रभावी बनाया जाना होता है। संचार उपकरणों की संख्या आवश्यकता से कम या अधिक होने की दोनों परिस्थितियों में संचार प्रभावी नहीं रहता। अत: किसी अभियान में प्रदान किये जाने वाले उपकरणों की संख्या परिसिथति तथा पूर्व के अनुभवों एवं निर्धारित सकेल के आधार पर तय की जाती है।

माननीय आयोग के सुझाव के परिप्रेक्ष्य में सभी पुलिस अधिकारी/CAPF के अधिकारियों को इसका समुचित आंकलन करते हुए भविष्य में संचालित होने वाले अभियानों में आवश्यक संख्या में संचार उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने, संचार की गोपनीयता हेतु encrypted communication उपकरणों को प्रदान किया जाना तथा आपसी संचार बेहतर करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया लाना प्रस्तावित है।

<u>**सुझाव बिंदु-04**</u>- सभी SF के पर्याप्त व समुचित रक्षात्मक उपकरण जैसे- BP जैकेट, रात्रि विजन उपकरण आदि प्रदान की जाए, ताकि वह अधिक सुरक्षित व Confident महसूस करें एवं हड़बड़ी या Panic में कार्यवाही नहीं करें ।

टीप- इस संबंध में बिन्दु (2) की टीप अवलोकनीय है । पर्याप्त संख्या में उत्तम क्वालिटी के रक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।

<u>**सुझाव बिंदु-05**</u>- SF मानसिक स्थिति को बेहतर करने हीतु तथा Critical परिस्थितियों में equanimity **के साथ कार्यवाही** हेतु कोर्स चलाए जाए ।

टीप- SF की मानसिक स्थिति को बेहतर करने हेतु समय-समय पर प्रशिक्षण चलाए जाते **है, वरिष्ठ अधिकारियें द्वारा ब्रीफिंग**/समझाईस दी जाती है तथा तनाव मुक्त रहने हेतु **ट्रेनिंग, कल्याण व अन्य कार्यवाहियां** की जाती है ।

माननीय आयोग के सुझाव के परिप्रेक्ष्य में सभी SF कैम्पों/पोस्टों में जवानों को **विभिन्न परिस्थितियों में समुचित** कार्यवाही का प्रशिक्षण तथा बस्तर के आम लोगों के **जीवन, उनके रीति-रिवाजों, भावनाओं,** उनके सामान्य जीवन की कठिनाईयों आदि की जानकारी **दिया जाना तथा जवानों को आम** जनता के सुख-दुख के संबंध में और Sensitibve **किये जाने हेतु समय-समय पर विशेष** लेक्चर लिया जाना प्रस्तावित है ।

फोर्स के मिडिल स्तर के नेतृत्व को पुलिस प्रशिक्षण शालाओं के अतिरिक्त अन्य **सस्थाओं में नेतृत्व क्षमता, तनाव नियंत्रण,** बेहतर मैनेजमेंट आदि हेतु प्रशिक्षित किया जाना **आवश्यक है । इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों के** अच्छे प्रशिक्षिकों को समय-समय पर आमंत्रित **कर जवानों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित** है ।

क्रमश:...4

<u>सुझाव बिंदु-06</u>- नक्सलियों की गुरिल्ला रणनीति को Counter करने हेतु ट्रेनिंग दी जाए।

टीप- छत्तीसगढ़ में सीटीजेडब्ल्यू कॉलेज के माध्यम से व आर्मी तथा ग्रहाउंड के प्रशिक्षण केंद्रों में तथा CAPF के induction के दौरान उक्त प्रशिक्षण वृहद रूप से दिया जाता है । इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में अभियान नियमित रूप से चलाए जाते है, जिसमें SF का रणकौशल, जमीनी परिस्थितियों की जानकारी एवं Practical Skills में वृद्धि होती है ।

प्रशिक्षण शाखा तथा CAPF को पत्र लिखकर माननीय आयोग के सुझाव के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान ट्रेनिंग का Critical evaluation करते हुए इसे जहां-जहां बेहतर किया जा सकता है, उसे चिन्हित कर प्रशिक्षण को बेहतर किए जाने हेतु निर्देशित किया जाना विचारणीय है । अभियानों की बेहतर प्लानिंग व संचालन हेतु सभ स्तरों के अधिकारयों/ कमांडरों को उनके इलाकों का Arial सर्वे कराया जाना भी प्रस्तावित है ।

<u>सुझाव बिंदु-07</u> - SF का स्थानीय जनता से अधिक interaction ताकि वे उनकी परिस्थितियों व रीति रिवाजों के प्रति जागरूक रहें । इससे आपसी विश्वास एवं आसूचना संकलन भी बेहतर होगा ।

टीप- SF का स्थानीय जनता से interaction सीमित रूप से होता है। प्राय: Civic Action Program आदि से जनता से जुड़ने का प्रयास किया जाता है । SF से जनता से अधिक interaction से अच्छे परिणाम संभावित होने के साथ-साथ दुष्परिणामों व शिकायतों आदि की भी संभावना होती है ।

माननीय आयोग के सुझाव के संबंध में CAPF व जिलों के राजपत्रित अधिकारियों को निर्देश दिया जाना विचारणीय है कि व स्थानीय लोगों/उनके प्रतिनिधियों से बेहतर संपर्क व संवाद स्थापित करें तथा SF के जवान कैम्पों/पोस्टों को आस-पास आम जनता के सुख-दुख, उनकी परिस्थितियों, उनके रीति-रिवाजों की बेहतर समझ विकसित करते हुए आम जनता की परेशानी दूर करने व उनमें सुरक्षा की भावना विकसित करने का प्रयास करें । इससे जवानों में भी आम जनता के बारे में बेहतर जागरूकता पैदा होगी।

क्रमशः...5

<u>सुझाव बिंदु-08</u>- आसूचना तंत्र को और मजबूत व विश्वसनीय किया जाना तथा आधुनिक उपकरणों जैसे ड्रोन आदि के माध्यम से इस संबंध में कार्यवाही ।

टीप- आसूचना तंत्र को प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है तथा इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिली है । आसूचना संकलन को और बेहतर किया जाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ में एक मजबूत एवं विश्वसनीय आसूचनाद तंत्र विकसित किया गया है। इस संबंध में टेक्निकल साधनों, UAV आदि की सहायता ली जाती है। संचार साधनों में encrypted communication होना अत्यंत आवश्यक है।

मान. आयोग के सुझाव के परिपेक्ष्य में इसे और प्रभावी तथा real time बनाने, अधिक से अधिक विश्यसनीय व actionanle intelligence प्राप्त करने की दिशा में कार्यवाही तथा counter intelligence cell की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

<u>सुझाव बिंदु (9)-</u> आत्मसमर्पित नक्सलियों की सेवाओं तथा उनके int inputs का उपयोग करना ।

टीप :- छत्तीसगढ़ में बढ़ी संख्या में नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों से विस्तृत पूछताछ कर जातर है तथा उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर डाटा बेस तैयार करते हुए जानकारी का अभियानों हेतु प्रयोग किया जाता है। बड़ी संख्या में आत्मसमर्पित नक्सली पुलिस विभाग से जुड़कर अभियानों में आसूचना तथा स्वयं शामिल होकर सुरक्षा बलों को सार्थक सहयोग भी प्रदान कर रहे है। इनके द्वारा स्थानीय काडर की पहचान उनके रूकने के स्थान, सहयोगियों एवं गतिविधियों के संबंध में दी गई जानकारी को अभियानों की प्लानिंग व संचालन में उपयोग किया जा रहा है। इस दिशा में समुचित कार्यवाही हेतु राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च सेल का गठन किया जाना चाहिए जो आत्मसमर्पित नक्सलियों के पूछताछ कर content/psycho analysis करते हुए और बेहतर जानकारी प्राप्त करें।

क्रमशः...6

सुझाव बिंदु (10)- बस्तर के अंदरूनी व ग्रामीण क्षेत्र का सामान्य विकास विशेषत: रोड कनेक्टिविटी का त्वरित विकास ।

टीप :-शासन द्वारा विकास विश्वास व सुरक्षा के लक्ष्य के तहत बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में विकास हेतु बहुआयामी कार्य किए जा रहे है । बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सड़कों व पुल-पुलियों का निर्माण कार्य RCP-1 व RCP-2 के तहत् किया जा रहा है । अनेक इलाकों में नई सड़कें बनाई गई हैं । बंद स्कूल पुन: प्रारम्भ हुए हैं तथा अनेक गावों में बिजली पहुंचाई गई है । निर्माण कार्यो को SF द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है । अंदरूनी क्षेत्रों में नए कैम्पों की स्थापना से निर्माण कार्यो को और गति प्राप्त हुई है। विकास कार्यो में गति प्रदान करने हेतु आधुनिक तकनीक, प्री-लैब, पुल-पुलियों, वाहन आधारित मोबाईल टावर आदि का उपयोग होना चाहिए । निर्माण कार्यो की सुरक्षा हेतु कैम्पों की त्वरित स्थापना हेतु प्री-फैब बैरक, मोर्चे, मोबाईल, टॉयलेट आदि पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।

4/ माननीय आयोग की रिपोर्ट में कुछ अन्य बिंदु भी उल्लेखित है । इन बिंदुओं के संबंध में भी कार्यवाही किया जाना विचारणीय है । मुख्य रूप से निम्न बिंदु विचार योग्य है :-

(1) आयोग द्वारा घटना के संबंध में दर्ज FIR की जांच समुचित तरीके से नहीं किए जाने हेतु रिपोर्ट के अनेक पैरा में उल्लेख है (जैसे पैरा 87, 96) । अत: इस प्रकार के मामलों में विवेचना हेतु क्या-क्या ध्यान में रखा जाए, इसके संबंध में सीआईडी से परवाना जारी किया जाना प्रस्तावित है ।

(2) **आयोग द्वारा** पैरा 98, 102 में उल्लेख किया गया है कि "छत्तीसगढ़ शासन **द्वारा आहतों को मुआवजा** दिया गया, जो यह सिद्ध करता है कि वे नक्सली **नहीं थे।" अत: इस** संबंध में यह स्थिति स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है **कि कई बार हताहत या** मुठभेड़ उपरांत मृत आम व्यक्ति/नक्सली की पहचान **नहीं हो पाती या उसके** नक्सलियों से संबंध का पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है। **ऐसी स्थिति में यदि शासन** द्वारा मानवता के आधार पर परिवार को मुआवजा **दिया जाए या घायलों** का उपचार कराया जाए तो इसे शासन द्वारा उनके नक्सली **नहीं होने या नक्सलियों से सबंध** नहीं होने के प्रमाण के रूप में नहीं माना **जाना चाहिए** ।

क्रमशः...7

lg

(3) माननीय आयोग पैरा 112 में अभियान की ब्रीफिंग नही होने का जिक्र किया है। प्रत्येक अभियान की ब्रीफिंग वरिष्ठ अधिकारी द्वारा sand model पर अनिवार्य रूप से किए जाने हेतु निर्देश प्रसारित किया जाना प्रस्तावित है ।

(4) पैरा 117 में उल्लेख है कि फायरिंग आत्मरक्षा में नही की गई वरन् गलत पहचान व Panic में की गई । अतः इस संबंध में पहचान स्पष्ट होने, टार्गेट स्पष्ट होने के बाद ही फायरिंग किया जाना तथा अनावश्यक फायर नही करना, जिसमें कि अपने साथियों को भी क्रास फायरिंग में नुकसान होने का खतरा हो सकता है, के संबंध में निर्देश दिया जा सकता है ।

5/ मंत्रिपरिषद् आदेश दिनांक 08 सितम्बर, 2021 में लिये गये निर्णय की कंडिका-04 के अनुसार पीड़ितों को राहत देने हेतु अनुशंसा करने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2021 द्वारा 05 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

(डी.डी. सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग